

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

(भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन गठित)

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

(Constituted under I. M. C. C. Act, 1970)

वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परोक्षित लेखा

(1986-87)



Annual Report and Audited Accounts


(1986-87)

१ ई/६, स्वामी रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली-११००५५


1 E/6, Swami Ramtirth Nagar, New Delhi-110055

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

(मई 1984 में पुनर्गठित)



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन गठित एक सांविधिक निकाय है। प्रथम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् 1971 में मनोनीत की गई थी। भारत के असाधारण राजपत्र, भाग—II धारा 3 उपधारा (iii) दिनांक 7-5-84 में भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा वर्ष 1984 में केन्द्रीय परिषद् का पुनर्गठन किया गया। केन्द्रीय परिषद् के मुख्य प्रयोजन निम्न हैं :—

- (i) भारतीय चिकित्सा पद्धति यथा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी के पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करना।
- (ii) भारतीय चिकित्सा की चिकित्सीय अहंताओं की मान्यता से सम्बन्धित विषयों पर केन्द्र सरकार को परामर्श देना।
- (iii) भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का रख-रखाव और समय-समय पर उसे परिशोधित करना।
- (iv) भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यास को विनियमित करना और भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यासियों के आचरण एवं शिष्टाचार तथा आचार-संहिता के मानक विहित करना।

केन्द्रीय परिषद् 1971 में अपनी स्थापना से ही स्नातकीय और स्नातकोत्तर स्तर पर भारतीय चिकित्सा पद्धति अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी की पाठ्यविधि और पाठ्यविवरण सहित विभिन्न विनियमों को बनाती रही और लागू करती रही है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के लगभग समस्त महाविद्यालय देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं। ये महाविद्यालय परिषद् द्वारा विहित पाठ्यविधि और पाठ्यविवरण का अनुसरण कर रहे हैं।

परिषद् की संरचना

केन्द्रीय परिषद् के निम्न सदस्य हैं :—

आयुर्वेद

1. डा० डुबेगुप्ता राधाकृष्णमूर्ति
2. डा० प्रतिवादी भयंकर शतकोपाचार्य

3. डा० सुकुमार भट्टाचारजी
4. डा० देवव्रत नारायण सिंह
5. डा० महेश्वर पांडे
6. डा० इन्द्रमोहन झा
7. डा० अलख नारायण सिंह
8. डा० जनार्दन नन्द कुमार दवे
9. डा० डी० आर० पटेल
10. डा० कृष्ण चन्द्र शर्मा
11. डा० गुलशन राय शर्मा
12. कविराज भूपेन्द्र नाथ गुप्त
13. वैद्य गौरी शंकर द्विवेदी
14. वैद्य पंचैया होसमठ
15. डा० ए० सी० राहुलकुमार
16. डा० के० माधवन नायर
17. वैद्य पं० महेशदत्त शास्त्री
18. डा० प्रसन्न कुमार जैन
19. वैद्य हरिकृष्ण एस० जोशी
20. डा० संगप्पा इरप्पा नागराल
21. डा० धनश्याम मंगलदास भावसार
22. डा० स्वप्नेश्वर पण्डा
23. वैद्य प्रमोद कुमार तिवारी
24. वैद्य मदन मोहन पुष्करणा
25. वैद्य उदय शंकर शर्मा
26. वैद्य गोकुलेन्द्र शर्मा
27. डा० वी० नारायण स्वामी
28. डा० रामप्रकाश गुप्ता
29. डा० हुकम चन्द शर्मा
30. डा० रामकुमार शर्मा
31. डा० प्रेम दत्त शर्मा
32. डा० महेन्द्र दत्त शर्मा

33. डा० आनन्द राय
34. डा० व्ही कृष्णमूर्ति
35. डा० टी० श्रीनिवास राव
36. डा० सत्यप्रकाश दीक्षित
37. डा० डी० रंगाचार्य
38. डा० तरणी कान्त ताल्लुकदार
39. वैद्य शिवकुमार व्यास
40. डा० अनन्तानन्द
41. डा० झाला कनक सिंह खीमा भाई
42. डा० गुरुपादप्पा नन्दवासप्पा त्रिरादर
43. डा० एल० चिक्काराजन्ना
44. डा० एस० एम० अंगडी
45. डा० पी० शंकरन नायर
46. वैद्य भाग्यवन्ती वर्मा
47. वैद्य महादेव प्रसाद पाण्डे
48. डा० सुरेश चन्द्र सक्सेना
49. डा० विजय शंकर त्रिवेदी
50. डा० सच्चिदानन्द उपाध्याय
51. डा० वेणी माधव शास्त्री
52. वैद्य पं० शिवकरण शर्मा छांगाणी
53. डा० पाण्डुरंग हरि कुलकर्णी
54. वैद्य श्रीकृष्ण गोविन्द फडके
55. वैद्य श्रीराम शर्मा
56. प्रो० हरिशंकर पाण्डे
57. डा० रघुवर दत्त शर्मा
58. प्रो० रामप्रकाश स्वामी
59. डा० टी० अच्युतन कुट्टी नायर
60. डा० हरिश्चन्द्र शुक्ला
61. वैद्य हरिहरनाथ उपाध्याय

62. डा० आर० एन० सिंह
63. वैद्य शिवकुमार मिश्र
64. डा० जगन्नाथ मिश्र
65. डा० पी० के० देबनाथ
66. प्रो० आर० सी० चतुर्वेदी
67. वैद्य हरिनारायण स्वामी
68. प्रो० बी० जे० ठाकर
69. डा० रमेश मिश्रा
70. आचार्य प्रियव्रत शर्मा
71. डा० एस० टी० गूजर
72. वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा
73. कविराज नानक चन्द शर्मा
74. वैद्य के० एस० वारियर
75. डा० बी० ए० हीरेमठ
76. डा० सत्यपाल गुप्ता
77. डा० डी० एल० नारायण
78. डा० के० सदाशिव शर्मा
79. वैद्य चन्द्र शेखर गौड़
80. कविराज एम० सी० नन्दा
81. वैद्य पी० सी० भट्टाचार्य

सिद्ध

82. डा० डी० इरामया वैद्यर
83. डा० जी० अन्नास्वामी
84. डा० सी० पी० रामनाथन
85. डा० सी० एस० उथमारायन
86. डा० ए० आनन्द कुमार
87. डा० के० पलानिचामी

यूनानी

88. हकीम मोहम्मद अशरफ करीम
89. डा० मदन सरूप गुप्ता
90. हकीम मोहम्मद उमर
91. हकीम धर्म चन्द
92. डा० दौलत राम भराज
93. डा० बन्सीलाल पण्डिता
94. डा० अब्दुर्रहमान
95. हकीम अब्दुल मोबिन खान
96. हकीम वेदप्रकाश शर्मा
97. हकीम मोहम्मद इकबाल खान
98. प्रो० हकीम सैय्यद खलीफथुल्लाह
99. डा० मो० तहसीन खान
100. हकीम फजलुर रहमान
101. हकीम मोहम्मद अहमद लारी
102. डा० सैय्यद शाजी हैदर
103. डा० एस० के० खादरी
104. प्रो० हकीम मोहम्मद तैयब
105. हकीम एम० ए० रज्जाक
106. हकीम अब्दुल हमीद
107. हकीम फैजान अहमद
108. हकीम फैय्याज आलम
109. डा० जे० डी० सन्दरवाले

परिषद के निम्न पदाधिकारी हैं :—

1. प्रो० हकीम सैय्यद खलीफथुल्लाह—अध्यक्ष
2. डा० रामकुमार शर्मा—उपाध्यक्ष (आयुर्वेद)
3. डा० ए० आनन्द कुमार—उपाध्यक्ष (सिद्ध)
4. हकीम एम० ए० रज्जाक—उपाध्यक्ष (यूनानी)

5. डा० एस० आई० नागराल—सभापति, शिक्षा समिति (आयुर्वेद)
6. डा० ए० आनन्द कुमार—सभापति, शिक्षा समिति (सिद्ध)
7. प्रो० हकीम मो० तैय्यब—सभापति, शिक्षा समिति (यूनानी)
8. डा० प्रसन्न कुमार जैन—सभापति, पंजीयन समिति
9. वैद्य पं० महेशदत्त शास्त्री—सभापति, विनियम समिति

विभिन्न समितियों की संरचना

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 9 (1) के अनुसार केन्द्रीय परिषद में निम्न समितियाँ हैं :—

- (1) आयुर्वेद समिति
- (2) सिद्ध समिति
- (3) यूनानी समिति

उपर्युक्त समितियाँ भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (1) (क) एवं (ख) के अधीन निर्वाचित तथा उपलब्ध (ग) के अधीन मनोनीत आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से युक्त होती हैं।

धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के लिए निर्वाचित क्रमशः ऊपर संदर्भित समितियों के प्रधान हैं।

ऐसे सामान्य या विशिष्ट निदेशों जो समय-समय पर केन्द्रीय परिषद देवे के अधीन प्रत्येक ऐसी समिति सिद्ध एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों—जैसा भी प्रकरण हो, से सम्बन्धित किसी भी विषय को केन्द्रीय परिषद में करने में समर्थ है।

केन्द्रीय परिषद ने विभिन्न कार्यों का सम्पादन करने के लिए धारा 10 के अधीन निम्न समितियों का भी है।

कार्यकारिणी समिति

अधिनियम तथा उसके अधीन विनिर्मित नियमों एवं विनियमों के ढाँचे में केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के अनुरूप केन्द्रीय परिषद के कार्यों का निष्पादन करने के लिए भारतीय चिकित्सा (सामान्य) विनियम 1976 के विनियम संख्या 5 के अधीन कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है। भारतीय चिकित्सा अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी पद्धतियों का पूर्ण प्रतिनिधित्व है।

कार्यकारिणी समिति के निम्न सदस्य हैं :-

सभापति	प्रो० हकीम सैय्यद खलीफथुल्लाह—अध्यक्ष
सदस्य	डा० रामकुमार शर्मा—उपाध्यक्ष (आयुर्वेद)
	डा० ए० आनन्द कुमार—उपाध्यक्ष (सिद्ध)
	हकीम एम० ए० रज्जाक—उपाध्यक्ष (यूनानी)
	डा० एस० टी० गुजर
	वैद्य प्रमोद कुमार तिवारी
	वैद्य श्रीराम शर्मा
	डा० के० माधवनंदायार
	प्रो० हकीम मोहम्मद तैय्यब
	हकीम वेद प्रकाश शर्मा
	डा० के० पलानिचामी

विनियम समिति

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के अधीन समय-समय पर आवश्यक केन्द्रीय परिषद के विभिन्न विनियमों को बनाने तथा उससे सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए परिषद द्वारा विनियम समिति का गठन किया गया।

विनियम समिति के निम्न सदस्य हैं :-

सभापति	वैद्य पं० महेश दत्त शास्त्री
सदस्य	प्रो० हकीम सैय्यद खलीफथुल्लाह—अध्यक्ष
	डा० रामकुमार शर्मा—उपाध्यक्ष (आयुर्वेद)
	डा० ए० आनन्द कुमार—उपाध्यक्ष (सिद्ध)
	हकीम एम० ए० रज्जाक—उपाध्यक्ष (यूनानी)
	वैद्य मदन मोहन पुष्करणा
	वैद्य पी० एच० कुलकर्णी
	वैद्य हरिनारायण स्वामी
	वैद्य हरिश्चन्द्र शुक्ला
	डा० स्वप्नेश्वर पंडा

- वैद्य पंचैया होसमठ
 डा० महेन्द्रदत्त शर्मा
 डा० जनार्दन एन दवे
 डा० टी० अच्युतन कुट्टी नायर
 डा० पी० बी० सतकोपाचार्य
 डा० महेश्वर पाण्डे
 डा० टी० श्रीनिवास राव
 डा० गुलशन राय शर्मा
 डा० डी० राधाकृष्णमूर्ति
 डा० जे० डी० सन्दरवाले
 डा० बंशी लाल पण्डिता
 डा० अब्दुर्रहमान
 हकीम धर्म चन्द
 डा० डी० इरामया बैद्यर

पंजीयन समिति

परिषद ने विभिन्न चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता एवं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, अनुसूची में उनका समावेश करने सम्बन्धी मामलों को देखने तथा इस विषय में अनुशंसाएं करने के लिए समिति का गठन किया। पंजीयन से सम्बन्धित विषयों पर विचार करना भी इस समिति के अधिकार

पंजीयन समिति के निम्न सदस्य हैं :

- सभापति : डा० प्रसन्न कुमार जैन
 सदस्य : प्रो० हकीम सैय्यद खलीफथुल्लाह—अध्यक्ष
 डा० रामकुमार शर्मा—उपाध्यक्ष (आयुर्वेद)
 डा० ए० आनन्द कुमार—उपाध्यक्ष (सिद्ध)
 हकीम एम० ए० रज्जाक—उपाध्यक्ष (यूनानी)
 प्रो० आर० सी० चतुर्वेदी
 डा० जी० एम० भावसार

- डा० कृष्णचन्द शर्मा
 वैद्य हरिकृष्ण एस० जोशी
 डा० पी० के० देवनाथ
 वैद्य शिवकुमार व्यास
 डा० प्रेमदत्त शर्मा
 डा० ए० सी० राहुलकुमार
 डा० डी० आर० पटेल
 डा० बी० ए० हीरेमठ
 डा० एल० चिक्काराजन्ना
 डा० रामप्रकाश गुप्ता
 डा० इन्द्रमोहन झा
 डा० मदन सरूप गुप्ता
 डा० एम० टी० खान
 हकीम मोहम्मद उमर
 डा० दौलत राम भराज
 हकीम फैजान अहमद

शिक्षा समितियां (आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी)

शिक्षा समितियां क्रमशः आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी की शिक्षा से सम्बन्धित समस्त कार्यों को करने में सक्षम हैं। आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी की शिक्षा समितियों के निम्न सदस्य हैं:—

शिक्षा समिति [आयुर्वेद]

- सभापति : डा० एस० आई० नागराल
 सदस्य : डा० रामकुमार शर्मा
 उपाध्यक्ष (आयुर्वेद)
 वैद्य श्रीराम शर्मा
 वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा
 वैद्य पं० शिवकरण शर्मा छाँगाणी
 वैद्य नानक चन्द शर्मा
 प्रो० रामप्रकाश स्वामी

डा० तरणीकान्त ताल्लुकदार

वैद्य भाग्यवन्ती वर्मा

डा० रामप्रकाश गुप्ता

डा० जी० एन० बिरादर

डा० आनन्द राय

डा० सत्यपाल गुप्ता

वैद्य एस० जी० फडके

डा० एस० एम० अंगडी

डा० हुकम चन्द शर्मा

डा० एस० पी० दीक्षित

डा० पी० शंकरन नायर

वैद्य शिवकुमार मिश्र

वैद्य जगन्नाथ मिश्र

प्रो० प्रियव्रत शर्मा

डा० हरि शंकर पाण्डे

डा० रमेश मिश्र

कविराज बी० एन० गुप्त

डा० बी० नारायण स्वामी

डा० पी० एच० कुलकर्णी

डा० विजय शंकर त्रिवेदी

शिक्षा समिति (सिद्ध)

सभापति : डा० ए० आनन्द कुमार

सदस्य : डा० सी० एस० उथमारायन

डा० जी० अन्नास्वामी

डा० के० पलानीचामी

शिक्षा समिति (यूनानी)

सभापति : प्रो० हकीम मोहम्मद तैयब

सदस्य : हकीम एम० ए० रज्जाक

उपाध्यक्ष (यूनानी)

हकीम फजलुर्रहमान

डा० सैयद शाजी हैदर

हकीम मोहम्मद अशरफ करीम

हकीम अब्दुल मोबिन खान

हकीम फैयाज आलम

डा० एस० के० खादरी

हकीम मोहम्मद इकबाल खान

हकीम मोहम्मद अहमद लारी

डा० मदन सल्लुप गुप्ता

वर्ष 1986-87 के दौरान निम्न बैठकें आयोजित की गईं :—

1. केन्द्रीय परिषद्	—1
2. आयुर्वेद समिति	—1
3. सिद्ध समिति	—1
4. यूनानी समिति	—1
5. कार्यकारिणी समिति	—3
6. शिक्षा समिति (आयुर्वेद)	—1
7. शिक्षा समिति (यूनानी)	—1
8. पंजीयन समिति	—1
9. उप समिति (आयुर्वेद)	—1
10. उप समिति (पंजीयन)	—1

केन्द्रीय परिषद् की वार्षिक बैठक नई दिल्ली में 10 और 11 मार्च, 1987 को सम्पन्न हुई थी। परिषद् ने विनियम समिति की बैठक के कार्यवृत्तों को छोड़कर वर्ष के दौरान सम्पन्न विभिन्न समितियों की बैठकों के कार्यवृत्तों को दूर किया।

परिषद् ने निम्न अनुशंसाएँ की :—

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि परिदर्शन प्रतिवेदन में तथ्यों तथा संस्था और उसमें विद्यमान कमियों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।

केन्द्रीय परिषद् ने परिदर्शकों के द्वारा परिदर्शन/निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करने के लिए आदर्श मानक प्रपत्र अनुमोदित किया।

यह भी निर्णय लिया गया कि परिदर्शन समिति का कम से कम एक सदस्य शैक्षिक वर्ग का हो।

केन्द्रीय परिषद् ने अनुशंसा की कि भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध किया जाय कि भविष्य में सांस्कृतिक उद्देश्य से विदेशों में जाने वाले शिष्ट मंडल में भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासी का नाम सम्मिलित किया जाय।

यह अंकित किया गया कि भारत सरकार विभिन्न जरूरतमन्द लोगों जैसे वृद्धावस्था और जिन्होंने देश की सेवा की जैसे स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता देने के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू करती रही है। इसी प्रकार भारतीय चिकित्सा के वृद्ध चिकित्साभ्यासी ब्रिटिश शासन काल से ही भारतीय चिकित्सा के संरक्षक रहे हैं, जबकि भारतीय संस्कृति का यह अंश बुरी तरह से उपेक्षित किया गया था और केवल उनके अथक प्रयत्नों के कारण ही भारतीय चिकित्सा आज तक जीवित रह सकी। इसके अतिरिक्त उनका चिकित्सीय ज्ञान और पाण्डुलिपियों का संरक्षण शैक्षिक/व्यावसायिक संस्थाओं की स्थापना और भारतीय चिकित्सा साहित्य का प्रकाशन कर सका। अतः यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार से भारतीय चिकित्सा पद्धति के वृद्ध चिकित्साभ्यासियों के लिए भी पेंशन योजना लागू करने हेतु अनुरोध किया जाय।

यह निर्णय लिया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए एक विचार गोष्ठी आयोजित की जाय।

यह अंकित किया गया कि सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने वाले चिकित्सकों को ग्रामीण भत्ता के रूप में पुरस्कार देने की घोषणा की। किन्तु वास्तव में जो ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गम भागों में सेवा कर रहे हैं, भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों को ग्रामीण भत्ता प्राप्त करने से वंचित रखा जा रहा है। अतः यह निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण देश में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और एलोपैथी चिकित्सकों को बिना किसी भेद-भाव के इस सुविधा का विस्तार करने के लिए सरकार से अनुरोध किया जाय।

आयुर्वेद

परिषद् ने अंकित किया कि भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयुर्वेद के प्रस्तावित पाठ्य उपाधि पाठ्यक्रम की पाठ्य विधि और पाठ्य विवरण पर अपने अभिमत भेजे थे। मंत्रालय के विचार किया गया और केन्द्रीय परिषद् द्वारा आयुर्वेद समिति की अनुशंसा पर निम्न प्रस्ताव पारित

“आयुर्वेद समिति ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त पत्रांक वी० 26017/4/86—ए० इ० दिनांक 6-3-1987 पर विचार किया और पाया कि विभिन्न विषयों के विस्तृत पाठ्य विवरण में भारत सरकार द्वारा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं समझा गया। आयुर्वेद समिति ने यह भी अनुभव किया कि पुनः संरचित 4½ + 1 वर्षीय पाठ्यविधि एवं पाठ्यविवरण की अवधि उसी प्रकार रहेगी, क्योंकि समकालीन व्यवस्था के अनुसार शिक्षा और प्रशिक्षण का विभाजन अधिक वैज्ञानिक है।”

जैसा कि 1986 में निर्णय लिया गया था कि पुनः संरचित 4½ + 1 वर्षीय पाठ्यविधि और पाठ्यविवरण को वर्ष 1986-87 से स्वीकृति प्रदान करने हेतु भारत सरकार से यह अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। सरकार की स्वीकृति से पहले ही वर्तमान में इसे चालू शैक्षिक सत्र से लागू करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्नातकोत्तर अर्हताधारियों की व्याख्याता के पद पर सीधे नियुक्ति और सेवा में विद्यमान निदेशकों को शून्य शून्य पदोन्नति के साथ समाप्ति के लिए वर्तमान में औपचारिक निर्णय की आवश्यकता नहीं है। आयुर्वेद के प्रस्तावित उपाधि पाठ्यक्रम पर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर राज्यों के सम्बन्धित प्राधिकारियों को एक बार सूचित किया जाय। ताकि निदेशकों को पदोन्नत किया जाय और व्याख्याताओं के आनुपातिक पदों का सृजन किया जाय जिससे शिक्षक वर्ग की कुल संख्या कम से कम उतनी रहे।

केन्द्रीय परिषद् ने निम्न निर्णय भी लिया :—

“आयुर्वेद के दो अति प्रसिद्ध विचारों—“स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम्” और “प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इत्यभिधीयते” के अनुसार अपने विषय में आयुर्वेद के अधिकार को तथा इस विषय में तीव्र अन्तर्राष्ट्रीय रुचि एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2000 ईसवी तक सभी के लिए स्वास्थ्य के उद्देश्य को विचार में रखते हुए निम्न प्रारम्भ करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिये :—

(1) देश की प्रत्येक स्नातकोत्तर (आयुर्वेद) संस्था में आयुर्वेदीय स्वस्थवृत्त एवं योग का स्नातकोत्तर विभाग।

(2) स्वस्थवृत्त एवं आयुर्वेद योग का पूर्ण साधन सम्पन्न एक राष्ट्रीय संस्थान।

यह विश्व के सम्मुख योग का सही चित्र प्रस्तुत करने के लिए आधिकारिक योग्य व्यक्तियों को उत्पन्न करने में सहायता करेगा और समग्र रूप से हमारे देशवासियों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक स्वास्थ्य का स्तर उन्नत करने में सहायता करेगा।

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि 2000 ईसवी तक जन सामान्य के स्वास्थ्य लाभ के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मनुष्य के सामान्य एवं तीव्र रोगों की चिकित्सा में सफलता प्राप्त करने के लिए देश के समस्त बड़े अस्पतालों विशेषतया देश के प्रमुख अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में भारतीय चिकित्सा पद्धति का पूर्ण साधन सम्पन्न प्रखण्ड आरम्भ किया जाय।

गामें यह निर्णय लिया गया कि पीड़ित जनता की मांग को पूरा करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली के द्वारा तथा राज्यों की राजधानियों में राज्य सरकारों के द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति का 500 का पूर्ण साधन सम्पन्न अस्पताल स्थापित किया जाय।

वर्ष के दौरान आयुर्वेद की निम्न संस्थाओं का परिदर्शन किया गया :—

महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन की तिथि	स्नातकीय/स्नातकोत्तर
महारानी रामेश्वरीलता भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मोहनपुर, दरभंगा (बिहार)	11-4-86	स्नातकीय
पी० वी० एन० भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रांठी, मधुबनी।	12-4-86	"
स्वामी राधवेन्द्राचार्य त्रिदण्डी आयुर्वेद महाविद्यालय, करजरा।	22-7-86	"
आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, गया (बिहार)	21-7-86	"
दयानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय, सीवान (बिहार)	23-7-86	"
आयुर्वेद महाविद्यालय, छपरा (बिहार)	24-7-86	"
राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, पटना (बिहार)	10-4-86	"
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर।	11-12-4-86	स्नातकोत्तर
एम० एम० एम० राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर।	26-8-86	"
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर।	25-8-86	"
आयुर्वेद महाविद्यालय, अहमदनगर।	5-5-86	"
स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रामपुर, मुजफ्फरनगर।	1-10-85	स्नातकीय
रवीन्द्रनाथ मुकर्जी आयुर्वेद महाविद्यालय, मोतीहारी (बिहार)	17-9-86	"
अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेगूसराय (बिहार)	19-9-86	"

15.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, स्नातकोत्तर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम।	5-12-86	स्नातकोत्तर
16.	गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेद महाविद्यालय, रोहतक	10-11-86	स्नातकीय
17.	मस्तनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय, अस्थलबोहर	11-11-86	"
18.	महिला आयुर्वेद डिग्री कालेज, खानपुर कलां	10-11-86	"
19.	श्रीकृष्ण राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र।	11-11-86	"
20.	श्री यतीन्द्रनारायण अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, भागलपुर।	18-9-86	"
21.	श्री धर्मसमाज संस्कृत महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।	22-7-86	"
22.	नीतीश्वर भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मुजफ्फरपुर (बिहार)	10-11-86	"

यूनानी

केन्द्रीय परिषद् ने कामिले-तिब्ब-ओ-जराहत परीक्षाओं के परीक्षकों और प्रश्न-पत्र निर्माताओं आदि के लिए निम्न मार्ग-निर्देश का निर्णय लिया :—

- (1) बी० यू० एम० एम० एम० उपाधि के लिए अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा सहित व्यावसायिक परीक्षाओं के किसी भी विषय में परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए सामान्यतः ऐसे किसी व्यक्ति की संस्तुति तक नहीं की जाय जिसने आवश्यक किसी मान्य विश्वविद्यालय से कम से कम चार वर्ष की अवधि वाली यूनानी अहंता अथवा उस विषय में समकक्ष योग्यता प्राप्त नहीं की हो और किसी मान्य विश्वविद्यालय अथवा राज्य यूनानी संकाय अथवा मंडल या परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, से सम्बद्ध महाविद्यालय में सम्बन्धित विषय में कम से कम तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त नहीं किया हो। बशर्ते, यदि तीन वर्ष के अध्यापन अनुभव वाले परीक्षक उपलब्ध न हों तो आन्तरिक/बाह्य परीक्षक के रूप में कम अनुभव वाले परीक्षकों को नियुक्त किया जाना चाहिये।
- (2) परिषद् ने स्वीकार किया कि विभिन्न तिब्बिया महाविद्यालयों के छात्रों के विशिखानुप्रवेश की अवधि के दौरान उपयोगी प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के औषधालयों में शय्याओं और सम्बद्ध सुविधाओं का प्रावधान अत्यावश्यक है। इस प्रावधान के लिए राज्य सरकारों से सम्पर्क किया जाय।
- (3) यह निर्णय लिया गया कि महाराष्ट्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों को दृढ़ता पूर्वक आयुर्वेद महाविद्यालयों के शिक्षक वर्ग के साथ तिब्बिया महाविद्यालय एवं अस्पताल, बम्बई के शिक्षकों के वेतनमानों में समानता रखना चाहिये।

वर्ष के दौरान निम्न महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया :—

महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन की तिथि	
1. यूनानी मेडीकल कालेज एवं अस्पताल, पुणे (महाराष्ट्र)	24-6-86	स्नातकीय
2. राजकीय निजामिया तिब्बिया कालेज, हैदराबाद।	30-12-86	स्नातकोत्तर
3. अजमल खां तिब्बिया कालेज, अलीगढ़।	2-3-87	"

सामान्य

वर्ष के दौरान केन्द्रीय परिषद् ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय

ची में सम्मिलित किए जाने हेतु निम्न चिकित्सीय अर्हताओं की संस्तुति की :—

प्रदाय निकाय का नाम	अर्हता	वर्ष
1. गोहाटी विश्वविद्यालय, गोहाटी।	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी)	1987 तक
2. पंजाब राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति संकाय, चण्डीगढ़।	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी)	1986-87 तक प्रविष्ट वर्ग
3. बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर।	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी)	1987 तक
4. आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति संकाय, बम्बई।	फैलो आफ दी फ़ैकल्टी आफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एफ०एफ०ए०एम०	1984 तक
5. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला।	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी)	1987 तक

परिषद् ने अंकित किया कि भारतीय चिकित्सा के कतिपय राज्य मंडल किसी न किसी बहाने से उन तयों का जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के अधीन मान्य चिकित्सीय अर्हता धारण नहीं हैं का पंजीयन करना जारी रखे हुए हैं।

समस्त राज्य सरकारों से अपने राज्य अधिनियमों एवं उनकी अनुसूचियों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने और राजकीय भारतीय चिकित्सा परिषद् स्थापित करने का अनुरोध किया जाता है।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्नातकोत्तर छात्रों की मासिक छात्रवृत्ति केन्द्र सरकार द्वारा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अन्य विषय में दी जाने वाली मासिक छात्रवृत्ति के समान होना चाहिए।

यह निर्णय लिया गया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के वेतनमान समस्त राज्यों में आधुनिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के समान होने चाहिए।

यह निर्णय लिया गया कि संस्थाओं/महाविद्यालयों में कार्यरत भारतीय चिकित्सा पद्धति के अध्यापकों को चिकित्साभ्यास नहीं करने का भत्ता दिया जाय।

परिषद् ने निर्णय लिया कि प्राथमिकता के आधार पर आयुर्वेद और यूनानी महाविद्यालयों को पुनः खोलने हेतु जम्मू एवं काश्मीर सरकार और भारत सरकार से अनुरोध किया जाय। यदि आवश्यक हो तो जम्मू एवं काश्मीर में महाविद्यालयों को पुनः खोलने की आवश्यकता दर्शाने हेतु जम्मू एवं काश्मीर के मुख्यमंत्री सहित उच्च अधिकारियों से भेंट करने के लिए एक शिष्ट मंडल भेजा जाय।

केन्द्रीय परिषद् ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय से यह अनुरोध करने का निर्णय लिया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के अर्हता धारियों जिन्होंने उती पद्धति में स्नातकीय/स्नातकोत्तर स्तर पर आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति का भी अध्ययन किया है और परीक्षा उत्तीर्ण की है को आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति में भी चिकित्साभ्यास करने के योग्य समझा जाय।

केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय परिषद् के परामर्श पर भारत के राजपत्र में भारतीय चिकित्सा पद्धति की निम्न चिकित्सीय अर्हताओं को अधिसूचित किया और उन्हें भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किया। वर्ष के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रदत्त निम्न चिकित्सीय अर्हताओं को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किया गया :—

प्रदाय निकाय का नाम	अर्हता	वर्ष
1. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी) बी०ए०एम०एस०	अगस्त 1985 में सम्पन्न परीक्षा उत्तीर्ण कर प्राप्त की गई उपाधि
2. आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति संकाय, बम्बई	फैलो आफ दी फ़ैकल्टी आफ आयुर्वेदिक मेडीसिन—एफ०एफ०ए०एम०	1971 से 1983
3. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	आयुर्वेदाचार्य आयुर्वेद बृहस्पति आयुर्वेदाचार्य	1972 से 1980 1972 से 1982 1981 से 1984
4. राजपूताना आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बी महाविद्यालय, जयपुर	उम्द-ए-तुल-हुक्मा तबीब फाजिल	1930 से 1980 1930 से 1981

यतुन नकवा यूनानी मेडीकल स्कूल
शबाद ।

मातामीदुत-तिब्ब-वाल
जराहत (एम०यू०एम०एस०) 1908 से 1942

राणा राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी
कत्सा पद्धति संकाय, चण्डीगढ़ ।

आयुर्वेदाचार्य (ग्रेजुएट इन
आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड
सर्जरी) जी० ए० एम० एस० 1971 से 1976

क महाराष्ट्र विद्यापीठ, पूना ।

आयुर्विद्या पारंगत—ए०वी०पी० 1942 से 1980

टिक विश्वविद्यालय,

आयुर्वेदाचार्य (बैलचर आफ
आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड
सर्जरी) बी०ए०एम०एस० 1984 से आगे

वाड़ ।

राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी
कत्सा पद्धति संकाय, चण्डीगढ़

आयुर्वेदाचार्य (ग्रेजुएट इन
आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड
सर्जरी) जी०ए०एम०एस० 1960 से 1982

दिक एवं यूनानी तिब्बी महाविद्यालय
मृतसर ।

वैद्यशास्त्री 1947 तक

श्चम बंग आयुर्वेद परिषद्, कलकत्ता ।

डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मेडीसिन
एण्ड सर्जरी—डी०ए०एम०एस० 1979 से 1983

बैलचर आफ आयुर्वेदिक मेडीसिन
एण्ड सर्जरी—बी०ए०एम०एस० 1979 से 1984

आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बी महाविद्यालय
मृतसर और वैदिक एवं यूनानी तिब्बी
महाविद्यालय, अमृतसर ।

जबदत-उल-अतिब्बा 1947 तक

श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति

कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत 1985 से आगे
(बैलचर आफ यूनानी
मेडीसिन एण्ड सर्जरी) बी०यू०एम०एस०

परीक्षा निकाय, आयुर्वेद और यूनानी
चिकित्सा पद्धति, दिल्ली ।

आयुर्वेदाचार्य (बैलचर आफ आयुर्वेदिक
मेडीसिन एण्ड सर्जरी) बी०ए०एम०एस० 1978 से आगे

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका को तैयार करना और उसका अनुरक्षण केन्द्रीय परिषद् के मुख्य कार्यों में से एक है। केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य के लिए कर्मचारी वर्ग स्वीकृत किया है। भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका को तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

परिषद् द्वारा निर्धारित विभागों, शिक्षक वर्ग, छात्र शैथ्या अनुपात, प्रयोगशालीय सुविधाएं, पुस्तकालय की सुविधा, भवन, औषध उद्यान, औषधि निर्माणशाला और अस्पताल से सम्बन्धित न्यूनतम आवश्यकताओं की उपलब्धता का निर्धारण करने के लिये परिषद् के परिदर्शकों द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों का परिदर्शन कराते हुए परिषद् भारतीय चिकित्सा पद्धति की संस्थाओं के न्यूनतम स्तर को बनाए रखती है।

प्रशासन एवं वित्त

केन्द्रीय परिषद् ने गैर-योजना के अधीन वर्ष 1986-87 के लिए रु० 15,23,027.29 राशि के संशोधित प्राक्कलनों एवं वर्ष 1987-88 के लिए रु० 12,35,700.00 राशि वाले बजट प्राक्कलनों को अनुमोदित किया।

परिषद् ने योजना के अधीन वर्ष 1986-87 के लिए रु० 5,73,817.68 राशि वाले संशोधित प्राक्कलनों और वर्ष 1987-88 के लिए रु० 8,68,000.00 राशि वाले बजट प्राक्कलनों को अनुमोदित किया।

केन्द्रीय परिषद् ने चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा यथा अनुशंसित और केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत संशोधित वेतनमानों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के कार्यालय में लागू करने के लिए अनुमोदित किया।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के कार्यालय के लिए स्टाफ कार क्रय करने के प्रस्ताव को केन्द्रीय परिषद् ने अनुमोदित किया।

बजट सम्बन्धित स्रोत

वर्ष 1986-87 के लिए परिषद् द्वारा प्रस्तावित और सरकार द्वारा स्वीकृत बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन निम्न प्रकार हैं :—

गैर-योजना

परिषद् द्वारा प्रस्तावित	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत
बजट प्राक्कलन	12,35,700.00
संशोधित प्राक्कलन	15,23,027.29
	9,70,000.00
	10,66,000.00
योजना	
बजट प्राक्कलन	8,68,000.00
संशोधित प्राक्कलन	5,73,817.68
	5,00,000.00
	3,80,000.00

वर्ष 1987-88 के लिए बजट प्राक्कलन निम्न प्रकार हैं :—

गैर-योजना

बजट प्राक्कलन	17,60,900.00	12,51,000.00
---------------	--------------	--------------

योजना

बजट प्राक्कलन	8,32,800.00	8,00,000.00
---------------	-------------	-------------

केन्द्रीय परिषद् एक लघु संगठन है, तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा ध्यान रखा जाता है कि रत सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए किए गए आरक्षण का अनुरक्षण किया जाता है। केन्द्रीय परिषद् में 30 निकायों में से विभिन्न वर्गों के लिए किया गया आरक्षण निम्न प्रकार है :—

अनुसूचित जाति	—4
अनुसूचित जन जाति	—1
विकलांग	—2
भूतपूर्व सैनिक	—1

लेखाओं का विवरण

निदेशक, लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1986-87 के लिए केन्द्रीय परिषद् के लेखाओं पर लेखा परीक्षा की गई। प्रतिवेदन संलग्न है।

गोपनीय

क्रमांक ओए /एस ए आर/सीसीआईएम/2-7/87-88/
कार्यालय निदेशक लेखा परीक्षा
केन्द्रीय राजस्व, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट
नई दिल्ली-110002

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
स्वास्थ्य विभाग
निर्माण भवन, नई दिल्ली

विषय:- वर्ष 1986-87 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली का लेखा परीक्षा प्रति

महोदय,

मैं संसद के पटल पर रखे जाने हेतु लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित वर्ष 1986-87 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के प्रमाणित वार्षिक लेखा की प्रति संलग्न कर रहा हूँ।

संसद में यथा प्रस्तुत कागजातों की दो प्रतियाँ कृपया जिस तिथि को उन्हें प्रस्तुत किया गया उस तिथि का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय तथा भारत के लेखा नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली के कार्यालय को भी भेजे। परिषद् से हिन्दी में लेखाओं की 5 प्रतियाँ प्राप्त होने पर लेखा परीक्षा प्रमाण - पत्र सहित लेखा परीक्षा का हिन्दी अनुवाद आपको भेजा जायगा।

कृपया प्राप्ति सूचित करें।

भवदीय,

ह0/-

उप निदेशक लेखा परीक्षा निरीक्षण

गोपनीय

दिनांक 29-3-88

क्रमांक=ओए- /एसआर/सीसीआईएम/2-7/87 -88/101

प्रतिलिपि

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित प्रमाणित लेखा की प्रति के साथ निबन्धक एवं सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, 1-ई/6, स्वामी रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई हेतु है।

- 1- जिस तिथि को वर्ष 1986-87 के लिए प्रमाणित लेखा पर विचार हुआ वह इस कार्यालय को सूचित करें।
- 2- लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी किए जाने हेतु हिन्दी में वार्षिक लेखाओं की प्रतियाँ इस कार्यालय को भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

ह0/-

उप निदेशक लेखा परीक्षा निरीक्षण

लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली के 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों और तुलन पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं तथा संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभुक्तियों के अधीन रहते हुए अपनी लेखा परीक्षा के परिणाम-स्वरूप मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय तथा मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे दिये गये स्पष्टीकरण तथा परिषद् की बहियों में दर्शाये गए उल्लेखों के अनुसार ये लेखों और तुलन पत्र उपर्युक्त रूप से तैयार किए गए हैं और परिषद् के कार्य कलापो का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

ह0/-

रस0 रस0 राय चौधरी
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली

दिनांक _____

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली का वर्ष 1986-87 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर अभिमत

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (केन्द्रीय परिषद्) की स्थापना भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर (अष्टांग आयुर्वेद सिद्ध अथवा यूनानी तिब) के अनु- तथा इससे सम्बन्धित अन्य बातों के उद्देश्य से 1971 में हुई थी। परिषद् का वित्तपोषण मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों द्वारा होता है। परिषद् ने वर्ष 1986-87 के दौरान 14.46 लाख रु० की राशि के अनुदान प्राप्त किए।

परिषद् ने 1986-87 के दौरान 1,92,057.50 रु० की एक फोटो कॉपी मशीन खरीदी। पूर्तिकर्तों को 1,82,057.50 रु० का नगद भुगतान किया गया था जिन्होंने एक पुरानी पेन्ट-प्रिन्ट फोटो मशीन जिसकी वास्तविक मूल्य 13,728.00 रु० की थी 10,000/- रु० स्वीकार कर ली। 1986-87 के तुलन-पत्र में 1,92,057.50 रु० के बजाय 1,82,057.50 रु० परिसम्पत्तियों में दर्शाये गए थे जिसके कारण परिषद् की परिसम्पत्तियाँ 10,000.00 रु० कम हो गई।

सामान्य आरक्षित निधि (5,88,601.26 रु०) तथा परिसम्पत्तियों (1,97.96 रु०) के अंकड़ों के बीच 71,403.30 रु० के अन्तर ने तुलन-पत्र में 31 मार्च 1987 को व्यय से आय के आधिक्य को दर्शाया। व्यय के आधिक्य ने 1985-86 के पुराने तुलन-पत्र से आगे लाए गए अंक नहीं दर्शाया। इसे तुलन-पत्र दर्शाया जाना चाहिए था।

परिषद् का अभिमत

1. केन्द्रीय परिषद् ने वर्ष 1986-87 के दौरान रु० 14.46 लाख का अनुदान निम्न प्रकार प्राप्त किया:-
- | | | |
|-----------|---|---------------|
| गैर-योजना | = | रु० 10.66 लाख |
| योजना | = | रु० 3.80 लाख |

2.1 परिषद् ने वर्ष 1986-87 के दौरान योजना के अधीन रु० 1,92,057.50 की फोटो-कॉपी मशीन क्रय की थी, किन्तु आपूर्तिकर्ता को रु० 1,82,057.50 का भुगतान किया गया, क्योंकि आपूर्तिकर्ता ने पुरानी पाना-प्रिन्ट मशीन के लिए रु० 10,000/- की राशि वास्तविक मूल्य रु० 1,92,057.50 में से बिल में घटाई थी। अतः वर्ष 1986-87 के तुलन-पत्र में परिसम्पत्ति के स्म में रु० 1,92,057.50 की बजाय रु० 1,82,057.50 दर्शाए गए थे। लेखा परीक्षा की इच्छानुसार वर्ष 1987-88 के लेखाओं में आवश्यक संशोधन कर दिया जायगा।

2.2 तुलन-पत्र में यथा 31 मार्च, 1987 को सामान्य आरक्षित निधि (5,88,601.26 रु०) और परिसम्पत्ति (1,97.96 रु०) के अंकों के बीच रु० 71,403.30 का अन्तर लेखा परीक्षा के सुझावानुसार निम्न प्रकार से विभाजित कर दिया गया है:-

दायित्व		परिसम्पत्ति	
सामान्य आरक्षित निधि			
गैर-योजना		गैर-योजना	
स्थापना के दिन प्राप्त परिसम्पत्ति	20,080.15	फर्नीचर और उपकरण	76,564.68
सरकारी अनुदान से प्राप्त परिसम्पत्ति		पुस्तकालय के लिए पुस्तकें	19,125.91
गत तुलन-पत्र के अनुसार	2,56,542.33	वायु शीतलन उपकरण	38,537.53
वर्ष के दौरान पूंजीगत अनुदान	6,181.00	कार्यालय संबंधी उपकरण	1,34,847.36
	2,62,723.33		

<u>योजना</u>		<u>योजना</u>	
स्थापना के दिन प्राप्त परिसम्पत्ति	शून्य	फर्नीचर एवं उपस्कर	25,205.18
<u>सरकारी अनुदान से प्राप्त परिसम्पत्ति</u>		कार्यालय उपकरण	2, 22,917.30 2,48,122.48
वर्ष के दौरान पूंजीगत अनुदान	<u>2,48,122.48</u>		
			<u>5,17,197.96</u>
गैर योजना के अधीन गत तुलन-पत्र के अनुसार व्यय से आय की अधिकता		₹0	24,545.21
जोड़े=गैर-योजना के अधीन वर्ष 1986-87 के दौरान आय से व्यय की अधिकता		₹0	11,886.62
जोड़े=योजना के अधीन वर्ष 1986-87 के दौरान आय से व्यय की अधिकता		₹0	14,016.59
गत तुलन-पत्र के अनुसार गैर-योजना के अधीन सामान्य आरक्षित निधि में जमा दायित्व पर परिसम्पत्ति की अधिकता का अन्तर		₹0	<u>20,954.88</u>

यथा 31.3.87 को सामान्य आरक्षित निधि एवं परिसम्पत्ति का अन्तर को भविष्य में समाविष्ट कर लिया जाएगा।

2.3 विश्व स्वास्थ्य संगठन की राशि के साथ परिषद् द्वारा आयोजित विचारगोष्ठी से सम्बन्धित कार्य सम्पादन को वर्ष 1987-88 के लेखाओं में समाविष्ट किया जायगा।

2.3 परिषद् ने भारतीय चिकित्सा प्रणाली पर संगोष्ठी आयोजित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से 3,33,500 ₹ 29,000 ₹ 1984-85 में तथा 304,500 ₹ 1985-86 में प्राप्त किये थे। 1985-86 के दौरान पीयोजना अधिकारी रजिस्ट्रार के पास एक अलग बैंक खाते में रखी गई समस्त राशि लेखों में एक अग्रिम के स्म में दिखाए जाने के बजाए व्ययके स्म में दर्शायी गई थी। इस अनियमितता का वर्ष 1985-86 के लेखा परीक्षाप्रतिवेदन में उल्लेख करने के बावजूद लेन-देन को 1986-87 के दौरान भी परिषद् के लेखों में ठीक प्रकार दर्ज नहीं किया गया था।

2.4 केन्द्रीय परिषद् विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय डी०ए०वी०पी० को इस प्रकार प्रचार पर किए गए वास्तविक व्यय से कहीं अधिक अग्रिम भुगतान वि०ए०वी०पी० के पास भारी अव्ययित राशि 1980-81 के दौरान 50.43 लाख से लेकर 1985-86 के दौरान 2.53 लाख ₹ के बीच बचाते हुए प्रदान कर रही थी। वि०ए०वी०पी० के पास 1986-87 के अन्त में 1.62 लाख ₹ के अव्ययित शेष थे।

2.4 यथा 31.3.86 को डी०ए०वी०पी० के पास असमायोजित राशि ₹0 2,52,724.66 थी जिसमें से 1.4.86 से 31.3.87 की अवधि के दौरान डी०ए०वी०पी० ने ₹0 90,751.14 समायोजित किए। इस तरह से 31.3.87 को डी०ए०वी०पी० के पास ₹0 1,61,973.52 की राशि असमायोजित यथा 31.3.87 को स्थिति निम्नवत थी :-

यथा 31.3.86 को डी०ए०वी०पी० के जमा शेष =	₹0	2,52,724.66
घटाएँ- वर्ष 1986-87 के दौरान डी०ए०वी०पी० द्वारा समायोजित =	₹0	90,751.14
		<u>₹0 1,61,973.52</u>

केन्द्रीय परिषद् ने पत्रांक 10-13/87-लेखा दिनांक 21.8.87 तथा अनुस्मारक दिनांक 15.10.87,

पेंशन एवं मृत्यु एवं निवृत्ति उपदान योजना, परिवार पेंशन योजना
हत, केन्द्रीय परिषद् में अप्रैल 1983 से प्रारम्भ की गई थी। शर्तों के
नुसार इस योजना का वित्तपोषण परिषद् के पास नियोजता के अंश दायी
भविष्य निधि अंशदान तथा इस अंशदान के निवेश पर व्याज के कारण पहले
ही उपलब्ध निधियों से सर्जित पेंशन निधि में से होना था। केन्द्रीय
कार्दार द्वारा पेंशन निधि को आयभित करने के लिए कोई अतिरिक्त अनुदान
की नहीं किए जाने थे। तो भी परिषद् ने 0.67 लाख रु कुल राशि
अदायी भविष्य निधि को स्थानान्तरित कर दी। 1983-84 तथा 1986-87
के बीचका इसका अंशदायी भविष्य निधि के भाग का विवरण निम्न
प्रकार है:-

1983-84	14,568.38
1984-85	13,880.50
1985-86	14,656.00
1986-87	23,611.00

रु	66,715.88

इसके अतिरिक्त 42,000/- रु की राशि भी सहायक अनुदानों में से
पेंशन निधि में स्थानान्तरित की गई थी। इसके परिणाम स्वस्य 1.09 लाख रु
की सीमा तक अनुदानों का अधिक आहरण हुआ था।

परिषद् की स्थापना 1971 में हुई थी & तथापि अभी तक मंत्रालय
द्वारा इसके लेखों की आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं हुई। आन्तरिक लेखा परीक्षा
की जानी चाहिए।

3. निवेदन है कि केन्द्रीय परिषद् ने वर्ष 1986-87 में सामान्य भविष्य निधि तथा सेवानिवृत्ति एवं
उपदान निधि में कर्मचारी अंशदान और परिषद् के अंशदान को बांट दिया था। दोनों निधियों के लिए
अलग-अलग लेखा रखा गया है। परिषद् ने आरम्भ से 31-3-87 तक का व्याज सहित परिषद् का अंश
दान स्वयं 1,61,596.70 सेवानिवृत्ति एवं उपदान निधि में स्थानान्तरित कर दिया है। पेंशन निधि
को स्वचालित बनाने के लिए सहायता अनुदान गैर-योजना स्थानान्तरित कर दी गई है।

4. निवेदन है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एक लेखा परीक्षा दल ने वर्ष 1986-87
तथा अक्टूबर 1987 तक के परिषद् के लेखाओं की आन्तरिक लेखा परीक्षा 29-10-87 से 2-11-87
तक की।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
बड़ दिल्ली-110055

31 मार्च, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं अन्तर्गतों का लेखा

वर्तमान	नैर-योजना		योजना	अन्तर्गत	नैर-योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि		राशि	राशि	राशि	राशि
4-86 को उत्पन्न शेष				वित्त एवं मृत्यु				
ऑफ इण्डिया के वातु धाते	38,492.13			अधिकारियों का वेतन	17,511.29	-	-	-
वित्त शेष				अधिकारियों का अवकाश वेतन	738.71	-	-	-
अन्त रोकड़	7.25			स्थापना विमान का वेतन	1,65,066.01	-	-	28,656.40
अन्त डाक टिकट	30.10			स्थापना विमान का अवकाश वेतन	16,244.90	-	-	-
अन्त मशीन में डाक टिकट	4,919.80	43,449.28	-	मंहमाई एवं अतिरिक्त मंहमाई मरता	81,439.96	-	-	4,690.00
1986-87 के दौरान स्वास्थ्य		10,66,000.00	3,80,000.00	मकान किराया मरता	52,942.80	-	-	7,182.80
परिवार कल्याण मंत्रालय, बड़				बमर प्रतिरक मरता	12,281.48	-	-	1,311.70
रती से प्राप्त सहायता अनुदान				दुलाई मरता	1,170.00	-	-	45.00
आ प्राप्त वेत		52,097.90	-	अतिरिक्त सहायता	27,003.70	-	-	687.20
श्रेणी लिपिक के पद के लिए				बोनस	17,456.80	-	-	-
पत आवेदन-पत्रों का शुल्क		3,343.50	-	समयोपरिमरता	1,091.40	-	-	-
पते समाचार-पत्रों/रददी से		1,000.00	-	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	726.00	-	-	-
पत राशि		8,000.00	-	अवकाश यात्रा रियायत	1,240.50	-	-	-
बीमा योजना के लिए				शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति	98.00	-	-	-
वारियों से प्राप्त राशि				अध्यय के बिजी सचिव का वेतन	2,875.00	4,97,886.55	-	42,573.10
यकर 1986-87 जमा करके		2,059.00	-	आकस्मिक व्यय				
श्री आरकेओई एवं श्री				का आवर्ती व्यय				
ओके विह से प्राप्त राशि				लेख सामग्री	21,393.62	-	-	6,750.63
मान्य सचिव बिधि से प्राप्त राशि		116.00	-	दूरभाष	8,090.10	-	-	9,157.97
वारियों से की गई वसुली				डाक एवं तार	8,226.43	-	-	-
अग्रिम	5,720.00			मुद्रण व्यय	15,494.00	-	-	1,450.00
ईकित अग्रिम	593.00			भवन का किराया	1,08,100.00	-	-	-
का पंखा अग्रिम	2,000.00			विपुत व्यय	6,902.85	-	-	-
ईकित एवं मेडु का पंखा पर	133.50			समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएं	1,862.32	-	-	-
अग्रिम पर स्वातंत्र्य				वाहक प्रसार	4,717.65	-	-	-
वर्गीकृत कात का प्रसार	4.00			प्रकीर्ण सहित पर्वी	38,434.17	-	-	3,332.50
अग्रिम	1,921.29	10,371.79	-	कार्यालय के उपकरणों का रक्ष-रक्षाव	12,979.03	-	-	40,786.28
				बैंक प्रसार	278.25	-	-	-

पीछे से लया गया शेष 11,86,437.47 3,80,000.00

पीछे से लया गया शेष 7,24,364.97 1,17,860.93

I अग्रिम खर्च

पुस्तकालय के लिए पुस्तकें	1,221.60	-	
कार्यालय के उपकरण	4,959.40	2,22,917.30	
फर्नीचर एवं उपकरण	-----	6,181.00	25,205.18
			2,48,122.48

III विभिन्न बैठकों के लिए सदस्यों/सचिव/कर्मचारियों

को यात्रा/दैनिक भ्रमण

अध्यक्ष/सचिव/कर्मचारी	19,598.10		
परिषद के सदस्यों को	1,27,747.10		
कार्याकारिणी समिति के सदस्यों को	26,870.90		
शिक्षा समिति (आयुष्म) के सदस्यों को	15,107.50		
शिक्षा समिति (युवाश्री) के सदस्यों को	11,174.00		
विनियम समिति के सदस्यों को	26,973.50		
उप-समिति के सदस्यों को	12,965.90		
परिदर्शन समिति के सदस्यों को	55,955.50		
वयल समिति के सदस्यों को	3,322.70	2,99,715.20	-
1984-85 के यात्रा/दैनिक भ्रमण की मूल का समायोजन		318.90	-
सदस्यों को 1986-87 में अधिक दत्त यात्रा/दैनिक भ्रमण		318.90	-
<u>कर्मचारियों को दत्त भ्रमण एवं अग्रिम</u>			
पूर्व अग्रिम	7,200.00		
सांख्यिक अग्रिम	800.00		
मेज परेशा अग्रिम	2,000.00	10,000.00	
सामान्य सचिवालय निधि में दत्त राशि		16,044.60	
पैशु निधि में जमा की गई राशि		65,707.00	
बिना अनुमत ए गे बैंकों के बदले में दी गई राशि		397.90	
<u>भुदा की गई राशि</u>			
ग्रुप बीमा योजना के कर्मचारियों को	5,500.00		
ग्रुप बीमा योजना के लिए	2,500.00	8,000.00	
<u>आयकर का प्रेषण</u>			
वर्ष 1986-87 में श्री आर०के० जैन एवं एस०के० सिंह के आयकर में दी गई राशि		2,059.00	
31-3-1987 को अन्त शेष			
बैंक ऑफ इण्डिया के बाल खाते में शेष राशि	49,143.48	14,016.59	
हस्तगत रोकड़	192.00	शून्य	
प्रैकिंग मशीन में डाक टिकट	3,994.52	53,330.00	14,016.59

कुल 11,86,437.47 3,80,000.00

कुल 11,86,437.47 3,80,800.00

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

नई दिल्ली-110055.

31 मार्च 1987 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय-व्यय का लेखा

व्यय	भैर-योजना		योजना		आय	भैर-योजना		योजना
	राशि	राशि	राशि	राशि		राशि	राशि	
I वेतन एवं भत्ते								
अधिकारियों का वेतन	17,511.29	-	-	-	वर्ष 1986-87 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान	10,66,000.00	3,80,000.00	
अधिकारियों का अवकाश-वेतन	738.71	-	-	-	घटाएं-पूँजीगत अनुदान	6,181.00	10,59,819.00	2,48,122.48
स्थापना विभाग का वेतन	1,65,066.01	-	28,656.40	-	श्री आर०के० जैल और श्री ए०के० सिंह से 1986-87 के आयकर के लिए प्राप्त राशि		2,059.00	1,31,877.52
स्थापना विभाग का अवकाश-वेतन	16,244.90	-	-	-	कर्मचारियों में पंजा अग्रिम की प्राप्त राशि		2,000.00	
महमाई एवं अतिरिक्त महमाई भत्ता	1,81,439.96	-	4,690.00	-	फुटकर प्राप्तियाँ			
मकान किराया भत्ता	52,942.80	-	7,182.80	-	बिना मुआव के	52,097.90		
बंगर प्रतिफल भत्ता	12,281.48	-	1,311.70	-	निम्न श्रेणी लिपिक के पद के लिए प्राप्त बुल्क	3,343.50		
पुताई भत्ता	1,170.00	-	45.00	-	पुराने कामजोरों/रददी की बिछी	1,000.00		
अद्वैत सहायता	27,003.70	-	687.20	-	ग्रुप बीमा योजना के लिए कर्मचारियों से प्राप्त	8,000.00		
बोनस	17,456.80	-	-	-	साईकिल एवं मेज पंजा के अग्रिम पर खयाज	133.50		
समयोपरिभत्ता	1,091.40	-	-	-	निजी ट्रक का प्रभार	4.00		
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	726.00	-	-	-	वि-पुत व्यय	1,921.29		
अवकाश यात्रा खर्चा	1,240.00	-	-	-	सामान्य शिपिंग खर्च	116.00	6,661.19	
शिक्षा खर्च प्रतिपूर्ति	98.00	-	-	-				
अध्यक्ष के निजी सचिव का वेतन	2,875.00	4,97,886.55	-	42,573.10				
II आकस्मिक व्यय								
लेख सामग्री	21,393.62	-	6,750.63	-				
दूरभाष	8,090.10	-	9,157.97	-				
डाक एवं तार	8,226.43	-	-	-				
मुद्रण व्यय	15,494.00	-	1,450.00	-				
मकान का किराया	1,08,100.00	-	-	-				
विपुत व्यय	6,902.85	-	-	-				
समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएं	1,862.32	-	-	-				
वाहन प्रभार	4,717.65	-	-	-				
प्रकीर्ण सहित वर्दी	38,434.17	-	3,332.50	-				
कार्यालय के उपकरणों का रख-रखाव	12,979.03	-	40,786.28	-				
बैंक प्रभार	278.25	-	-	-				
विज्ञापन	-	-	2,360.00	-				
प्रकाशन	-	-	9,706.00	-				
	-	2,26,478.42	1,744.45	-				
				75,287.83				

पीछे से लाया गया रेषा

III विभिन्न बैठकों के लिए सदस्यों/सचिव/कर्मचारियों को यात्रा/दैनिक मरता

	अध्यक्ष/सचिव/स्थापना विभाग	19,598.10			
	परिषद के सदस्यों को	1,27,747.10			
	कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को	26,870.90			
	शिक्षा समिति।आय०। के सदस्यों को	15,107.50			
	शिक्षा समिति।युवाओं। के सदस्यों को	11,174.00			
	विनियम समिति के सदस्यों को	26,973.50			
	उप-समिति के सदस्यों को	12,965.90			
	परिदर्शन समिति के सदस्यों को	55,955.50			
	वयल-समिति के सदस्यों को	<u>3,322.70</u>	2,99,715.20		
IV	वर्ष 1984-85 की पूरा का समायोजन		318.90		
V	पेशवा बिच में दी गई राशि		65,707.00		
VI	सामान्य शिपिय बिच में दी गई राशि		16,044.60		
VII	पुराने नहीं आते गए चैकों के बदले में दी गई राशि		397.90		
VIII	दी गई राशि				
	ग्रुप बीमा योजना के कर्मचारियों को	5,500.00			
	ग्रुप बीमा योजना के लिए	<u>2,500.00</u>	8,000.00		
IX	मेज पंखा अग्रिम के लिए कर्मचारियों को दत्त राशि		2,000.00		
X	श्री आर०के०जैल एवं श्री एस०के० सिंह 1986-87 के आयकर में दत्त राशि		2,059.00		
	टय से आय की अधिकता		<u>11,886.62</u>	<u>14,016.59</u>	
	कुल		11,30,494.19	1,31,877.52	कुल 11,30,494.19 1,31,877.52
			<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>

भारतीय धिकिस्ता केन्द्रीय परिषद

बुक विवृती - 110055

यथा 31 मार्च 1987 को तुलना-पत्र

विवरण	गैर-योजना		योजना		परिसम्पत्ति	गैर-योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि		राशि	राशि	राशि	राशि
सामान्य आरंभ					I अभावतक प्रकृति				
मत तुलना-पत्र के अनुसार	322144.76	-	-	-	वर्षीय एवं उपकरण I	76564.68	-	-	-
घटाए-पूर्वी विधियोजना का बट्टा क्षाता	15728.00	-	-	-	मत तुलना-पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया पुस्तकालय की पुस्तकें I	-	-	25205.18	-
जोड़े-परिणत अनुबाध	308416.76	-	248122.48	-	मत तुलना-पत्र 17904.31 के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया एयर-कुलिंग उपकरण I	19125.91	-	-	-
घटाए-समायोजित राशि	6181.00	-	-	-	मत तुलना-पत्र के अनुसार कार्यालय उपकरण I	38537.53	-	-	-
जोड़े-दय से आय की अधिकता	314597.76	326462.19	14016.59	262139.07	मत तुलना-पत्र 143615.96 के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया	-	-	222917.30	-
प्रकीर्ण लेखदार					घटाए- वर्ष के दौरान विमोघन	134847.36	289075.48	-	248122.48
दूर्य, श्रुत्य प्रसार विदेशालय को पिडापन					II अभावतक प्रकृति				
मत तुलना-पत्र के अनुसार	-	-	252724.66	-	शुण एवं अभिस				
घटाए-वर्ष के दौरान समायोजित	-	-	90751.14	161973.52	I कर्मचारियों को अभिस				
सर्विस लेखा	22.19	-	-	-	II वर्ष अभिस				
					मत तुलना-पत्र के अनुसार	2040.00			
					वर्ष के दौरान जोड़ा गया	7200.00			
					घटाए- वर्ष के दौरान की गई वसुली	9240.00			
					III साइडिल अभिस	5720.00	3520.00		
					मत तुलना-पत्र के अनुसार	33.00			
					वर्ष के दौरान जोड़ा गया	800.00			
					घटाए- वर्ष के दौरान की गई वसुली	833.00			
					IV दूर्य, श्रुत्य प्रसार विदेशालय को पिडापन	593.00	240.00		
					मत तुलना-पत्र के अनुसार	-	-	252724.66	
					घटाए- वर्ष के दौरान समायोजित-	-	-	90751.14	161973.52
					III प्रकीर्ण लेखदार/सर्विसों का यात्रा/वैयक्तिक खर्चा	318.90			
					यथा 31-3-87 को रिकॉर्ड और बैंक में रखा राशि				

पीछे से लाया गया शेष

3,26,484.38 4,24,112.59

सामान्य भविष्य लिपि

मत तुलब-पत्र के अनुसार	2,25,906.77	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	<u>50,086.60</u>	
	2,75,993.37	
घटाएं-वाबु छाते में स्थाबान्तरित	<u>58.00</u>	
	2,75,935.37	
घटाएं-वर्ष के दौरान की गई	<u>25,668.50</u>	
अन्तिम अदायगी	2,50,266.87	
जोड़ें-वर्ष के दौरान अर्जित धनराशि	<u>11,250.90</u>	

2,61,517.77 -

पेशख लिपि

वर्ष 1986-87 के सामान्य भविष्य लिपि के तुलब-पत्र से स्थाबान्तरित वर्ष	1,61,596.70	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	<u>42,000.00</u>	

2,03,596.70 -

कुल

7,91,598.85 4,24,112.59

| भार बाज |

पीछे से लाया गया शेष

3,26,484.38 4,24,112.59

सामान्य भविष्य लिपि

1. विशेष जमा योजना में विनियोजन

मत तुलब-पत्र के अनुसार	1,09,000.00	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	<u>1,500.00</u>	1,10,500.00 -

2. कर्मचारियों को श्रृण

मत तुलब-पत्र के अनुसार	30,320.00	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	<u>37,670.00</u>	
	67,990.00	

घटाएं-वर्ष के दौरान वसूली	<u>36,275.00</u>	31,715.00 -
---------------------------	------------------	------------------

3. यथा 31-3-87 को बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में शेष राशि

1,19,302.77 -

पेशख लिपि

राष्ट्रीय बचत पत्र | सट्टम निर्गम | में विनियोजन

सामान्य भविष्य लिपि तुलब-पत्र 1986-87 से स्थाबान्तरित	1,20,000.00	
यथा 31-3-87 को बैंक आफ इण्डिया में शेष	<u>83,596.70</u>	

कुल

7,91,598.85 4,24,112.59

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
नई दिल्ली- 110055

सामान्य भविष्य निधि

31 मार्च, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

प्राप्तियाँ	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
1.4.86 को बैंक आफ इण्डिया					
बचत खाते में आद्य शेष		50,870.26	चालू खाते में अदा की गई निम्न से		
कर्मचारियों द्वारा अतिरिक्त अंशदान	10,631.00		सम्बन्धित अधिक जमा राशि-		
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	39,455.60		कर्मचारी का अंशदान -	58.00	116.00
मान में अंशदान	23,611.00	73,697.60	परिषद् का अंशदान -	58.00	
			विनियोजन		
कर्मचारियों से ऋण की वसूली		36,275.00	विशेष जमा योजना में		1,500.00
उससे अर्जित ब्याज		18,203.04	अन्तिम भुगतान		
मासिक आय प्रमाण-पत्र, विशिष्ट			1. श्री एस0 के0 सिंह अंशदान।	20,000.00	
बचत योजना एवं बचत खाता।			2. श्री एस0एस0 पाण्डे		
परिषद् मासिक आय प्रमाण-पत्र		50,000.00	ब्याज सहित कर्मचारी अंशदान	5,668.50	
			ब्याज सहित परिषद् का अंशदान	3,191.93	28,860.43
			कर्मचारियों को दत्त ऋण		37,670.00
			पेंशन निधि खाते में स्थानान्तरित राशि -	41,596.70	
			यथा 31.3.1987 को बैंक आफ इण्डिया के		
			बचत खाते में अन्त शेष		1,91,302.77
कुल		2,29,045.90	कुल		2,29,045.90

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

नई दिल्ली-110055

सामान्य भविष्य विधि

यथा 31 मार्च, 1987 को तुलन-पत्र

1985-86	परिसम्पत्ति	राशि	राशि	1985-86	दायित्व	राशि	राशि
1,34,216.10	कर्मचारी का अंशदान	2,25,906.77		50,870.26	बैंक ऑफ इण्डिया के बचत खाते में	-	1,19,302.77
	मत तुलन-पत्र के अनुसार			50,870.26			
1,58,510.10	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	50,086.60			विनियोजन		
		2,75,993.37			कार्ड ऑफ इण्डिया में		
	घटाएँ-वालु खाते में स्थाबान्तरित	58.00		1,05,000.00	मत तुलन-पत्र के अनुसार	50,000.00	
1,58,510.10		2,75,935.37		55,000.00	घटाएँ-विमोचित	50,000.00	शून्य
	घटाएँ-अन्तिम अदायगी की गई			50,000.00	हा। विशेष जमा योजना		
	1. श्री एस०एस०पाण्डे 5,668.50			90,900.00	मत तुलन-पत्र के अनुसार	1,09,000.00	
	2. श्री एस०के०सिंह 20,000.00	25,668.50		18,100.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	1,500.00	1,10,500.00
1,58,510.10		2,50,266.87		1,09,000.00			
67,396.67	जोड़े- क्याज	11,250.90	2,61,517.77		म। राष्ट्रीय बचत, प्रमाण-पत्रों में सप्तम नियम		
2,25,906.77				55,000.00	मत तुलन-पत्र के अनुसार	1,20,000.00	
	पेंशन में अंशदान			65,000.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया		
82,905.46	मत तुलन-पत्र के अनुसार	1,34,283.49		1,20,000.00			
14,596.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	23,611.00			घटाएँ-पेंशन विधि खाते में स्थाबान्तरित	1,20,000.00	शून्य
97,501.46		1,57,894.49			कर्मचारियों को शृण		
36,782.03	जोड़े क्याज	6,952.14		22,285.00	मत तुलन-पत्र के अनुसार	30,320.00	
1,34,283.49		1,64,846.63		40,100.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	37,670.00	
	घटाएँ-वालु खाते में स्थाबान्तरित	58.00		62,385.00		67,990.00	
	श्री एस०एस०पाण्डे को दिया गया	3,191.93			घटाएँ-वर्ष के दौरान की गई वसूली	3,275.00	31,715.00
1,34,283.49		1,61,596.70	शून्य	32,065.00			
	घटाएँ-पेंशन विधि के तुलन-पत्र में स्थाबान्तरित			30,320.00			
3,60,190.26	कुल	2,61,517.77	2,61,517.77	3,60,190.26	कुल	2,61,517.77	

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
नई दिल्ली-110055

पेंशन एवं ग्रेच्युटी निधि

31 मार्च, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

<u>प्राप्तियाँ</u>	<u>राशि</u>	<u>राशि</u>	<u>भुगतान</u>	<u>राशि</u>	<u>राशि</u>
पेंशन के लिए सामान्य भविष्य निधि खाते से अंशदान के रूप में प्राप्त राशि		41,596.70	यथा 31.3.87 को बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में अन्त शेष		83,596.70
चालू खाते से प्राप्त राशि		42,000.00			
		<u>कुल</u>		<u>कुल</u>	
		83,596.70		83,596.70	

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
नई दिल्ली-110055

पेंशन एवं ग्रेच्युटी निधि


यथा 31 मार्च, 1987 को तुलन-पत्र

<u>दायित्व</u>	<u>राशि</u>	<u>परिसम्पत्ति</u>	<u>राशि</u>
सामान्य भविष्य निधि के तुलन-पत्र से		राष्ट्रीय बचत पत्र । संलग्न निर्गम। में विनियोजित	
स्थानान्तरित वर्ष के दौरान चालू खाते में जोड़ा गया	1,61,596.70	वर्ष 86-87 के सामान्य भविष्य निधि के तुलन-पत्र से स्थानान्तरित बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में अन्त शेष	1,20,000.00
	42,000.00		83,596.70
<u>कुल</u>	<u>2,03,596.70</u>	<u>कुल</u>	<u>2,03,596.70</u>


CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

(RECONSTITUTED IN MAY 1984)

PRESIDENT



CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE



CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 1986-87

The Central Council of Indian Medicine is a statutory body constituted under the Indian Medicine Central Council Act, 1970. The first Council was nominated in 1971. The Council was reconstituted in 1984 vide Government of India Notification in the Gazette of India Extraordinary Part II section 3, sub section (ii) dated 7-5-84.

The main objects of the Central Council are as follows :-

- (i) To prescribe minimum standards of education for course in Indian Systems of Medicine viz. Ayurveda, Siddha and Unani.
- (ii) To advise Central Government in matters relating to recognition of medical qualifications of Indian Medicine.
- (iii) To maintain the Central Register of Indian Medicine and revise the register from time to time.
- (iv) To regulate practice in Indian Medicine and prescribe Standards of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics to be observed by the practitioners.

Since its establishment in 1971, the Central Council has been carrying on and implementing various regulations including the Curriculum and Syllabus in Indian Systems of Medicine viz. Ayurveda, Siddha and Unani at Under-graduate and Post-graduate levels.

Almost all the colleges of Indian Systems of Medicine are affiliated to various Universities in the country. These colleges are following the curriculum and syllabus as prescribed by the Council.


COMPOSITION OF THE COUNCIL

The following are the members of the Central Council :-

AYURVED

1. Dr. D. Radhakrishnamurthy
2. Dr. P. B. Satakopacharya
3. Dr. Sukumar Bhattacharjee

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE



CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 1986-87

The Central Council of Indian Medicine is a statutory body constituted under the Indian Medicine Central Council Act, 1970. The first Council was nominated in 1971. The Council was reconstituted in 1984 vide Government of India Notification in the Gazette of India Extraordinary Part II section 3, sub section (ii) dated 7-5-84.

The main objects of the Central Council are as follows :-


- (i) To prescribe minimum standards of education for course in Indian Systems of Medicine viz. Ayurveda, Siddha and Unani.
- (ii) To advise Central Government in matters relating to recognition of medical qualifications of Indian Medicine.
- (iii) To maintain the Central Register of Indian Medicine and revise the register from time to time.
- (iv) To regulate practice in Indian Medicine and prescribe Standards of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics to be observed by the practitioners.

Since its establishment in 1971, the Central Council has been carrying on and implementing various regulations including the Curriculum and Syllabus in Indian Systems of Medicine viz. Ayurveda, Siddha and Unani at Under-graduate and Post-graduate levels.

Almost all the colleges of Indian Systems of Medicine are affiliated to various Universities in the country. These colleges are following the curriculum and syllabus as prescribed by the Council.

COMPOSITION OF THE COUNCIL

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE



CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 1986-87

The Central Council of Indian Medicine is a statutory body constituted under the Indian Medicine Central Council Act, 1970. The first Council was nominated in 1971. The Council was reconstituted in 1984 vide Government of India Notification in the Gazette of India Extraordinary Part II section 3, sub section (ii) dated 7-5-84.

The main objects of the Central Council are as follows :-

- (i) To prescribe minimum standards of education for course in Indian Systems of Medicine viz. Ayurveda, Siddha and Unani.
- (ii) To advise Central Government in matters relating to recognition of medical qualifications of Indian Medicine.
- (iii) To maintain the Central Register of Indian Medicine and revise the register from time to time.
- (iv) To regulate practice in Indian Medicine and prescribe Standards of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics to be observed by the practitioners.

Since its establishment in 1971, the Central Council has been carrying on and implementing various regulations including the Curriculum and Syllabus in Indian Systems of Medicine viz. Ayurveda, Siddha and Unani at Under-graduate and Post-graduate levels.

Almost all the colleges of Indian Systems of Medicine are affiliated to various Universities in the country. These colleges are following the curriculum and syllabus as prescribed by the Council.

COMPOSITION OF THE COUNCIL

The following are the members of the Central Council :-

AYURVED

1. Dr. D. Radhakrishnamurthy
2. Dr. P. B. Satakopacharya
3. Dr. Sukumar Bhattacharjee
4. Dr. Deovrat Narayan Singh
5. Dr. Maheshwar Pandey

6. Dr. Indra Mohan Jha
7. Dr. Alakh Narayan Singh
8. Dr. Janardan N. Dave
9. Dr. D. R. Patel
10. Dr. Krishan Chandra Sharma
11. Dr. Gulshan Rai Sharma
12. Kaviraj Bhupendra Nath Gupt
13. Vaidya Gauri Shankar Dwivedi
14. Vaidya Panchayya Hosmath
15. Dr. A. C. Rahula Kumar
16. Dr. K. Madhavan Nair
17. Vaidya Pt. Mahesh Dutt Shastri
18. Dr. Prasanna Kumar Jain
19. Vaidya Harikrishna S. Joshi
20. Dr. S. I. Nagral
21. Dr. G. M. Bhawsar
22. Dr. Swapneswar Panda
23. Vaidya Pramod Kumar Tiwari
24. Vaidya Madan Mohan Pushkarna
25. Vaidya Udai Shankar Sharma
26. Vaidya Gokulendra Sharma
27. Dr. V. Narayanaswami
28. Dr. Ram Prakash Gupta
29. Dr. Hukam Chand Sharma
30. Dr. Ram Kumar Sharma
31. Dr. Prem Dutt Sharma
32. Dr. Mahendra Dutt Sharma
33. Dr. Ananda Roy
34. Dr. V. Krishna Murthy
35. Dr. T. Srinivas Rao
36. Dr. Satya Prakash Dixit
37. Dr. D. Rangachary
38. Dr. Tarani Kant Talukdar
39. Vaidya Shiv Kumar Vyas

40. Dr. Anantanand
41. Dr. Kanaksinh Khimabhai Jhala
42. Dr. G. N. Biradar
43. Dr. L. Chikkarajanna
44. Dr. S. M. Angadi
45. Dr. P. Sankaran Nair
46. Vaidya Bhagyawanti Verma
47. Vaidya M. P. Pandey
48. Dr. Suresh Chandra Saxena
49. Dr. Vijay Shankar Trivedi
50. Dr. Sachchidanand Upadhyay
51. Dr. Veni Madhav A. Shastri
52. Vaidya Pt. Shivkaran Sharma Chhangani
53. Dr. P. H. Kulkarni
54. Vaidya S. G. Phadke
55. Vaidya Shri Ram Sharma
56. Prof. Hari Shanker Pandey
57. Dr. R. D. Sharma
58. Prof. Ram Prakash Swami
59. Dr. T. Achuthan Kutty Nair
60. Dr. Harish Chandra Shukla
61. Vaidya Hariharnath Upadhyay
62. Dr. R. N. Singh
63. Vaidya S. K. Mishra
64. Vaidya Jagannath Mishra
65. Dr. P. K. Debnath
66. Prof. R. C. Chaturvedi
67. Vaidya Hari Narain Swami
68. Prof. V. J. Thakar
69. Dr. Ramesh Mishra
70. Acharya P. V. Sharma
71. Dr. S. T. Gujar
72. Vaidya Devendra Kumar Triguna
73. Kaviraj Nanak Chand Sharma

74. Vaidya K. S. Varier
75. Dr. B. A. Hiremath
76. Dr. Satyapal Gupta
77. Dr. D. L. Narayana
78. Dr. K. Sadashiv Sharma
79. Vaidya Chandra Sekhar Gaur
80. Kaviraj M. C. Nanda
81. Vaidya P. C. Bhattacharya

SIDDHA

82. Dr. D. Eramia Vaidyar
83. Dr. G. Annaswamy
84. Dr. C. P. Ramanathan
85. Dr. C. S. Uthamaroyan
86. Dr. A. Anandkumar
87. Dr. K. Palanichamy

UNANI

88. Hakim Mohd. Ashraf Karim
89. Dr. Madan Sarup Gupta
90. Hakim Mohd. Umar
91. Hakim Dharam Chand
92. Dr. Daulat Ram Bharaj
93. Dr. Bansi Lal Pandita
94. Dr. Abdur Rahman
95. Hakim Abdul Mobin Khan
96. Hakim Ved Parkash Sharma
97. Hakim Mohd. Iqbal Khan
98. Prof. Hakim Syed Khaleefathullah
99. Dr. M. T. Khan
100. Hakim Fazlur Rahman
101. Hakim Mohd. Ahmad Lari
102. Dr. Syed Shaji Hyder
103. Dr. S. K. Khadri
104. Prof. Hakim Mohd. Taiyab

105. Hakim M. A. Razzack
106. Hakim Abdul Hameed
107. Hakim Faizan Ahmad
108. Hakim Faiyaz Alam
109. Dr. J. D. Sanderwale

The following are the office bearers of the Council :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Prof. Hakim Syed Khaleefathullah | President |
| 2. Dr. Ram Kumar Sharma | Vice-President (Ayurved) |
| 3. Hakim M. A. Razzack | Vice-President (Unani) |
| 4. Dr. A. Anandakumar | Vice-President (Siddha) |
| 5. Dr. S. I. Nagral | Chairman, Education Committee (Ayurved) |
| 6. Prof. Hakim Mohd. Taiyab | Chairman, Education Committee (Unani) |
| 7. Dr. A. Anandakumar | Chairman, Education Committee (Siddha) |
| 8. Dr. Prasanna Kumar Jain | Chairman, Registration Committee |
| 9. Vaidya Pt. Mahesh Dutt Shastri | Chairman, Regulation Committee |

As per section 9 (1) of IMCC Act, 1970 the Central Council has the following main committees, namely :-

1. Ayurveda Committee
2. Siddha Committee
3. Unani Committee

The above Committee consist of members elected under clauses (a), (b) and nominated under clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of IMCC Act, 1970 representing the Ayurved, Siddha and Unani Systems of Medicine.

The Vice-Presidents for each of the Ayurveda, Siddha and Unani Systems of Medicine elected under sub-section (3) of section 3 are respectively the Chairman of the Committee referred to above.

Subject to such general or specific directions as the Central Council may from time to time give, each committee is competent to deal with any matter relating to

Ayurved, Siddha and Unani Systems of Medicine as the case may be within the competence of the Central Council.

The Central Council also constituted the following Committees to carry out various functions under section 10 of the IMCC Act, 1970.

EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee was constituted in accordance with regulation No. 5 of the Central Council of Indian Medicine (General) Regulations, 1976 to discharge the functions of the Council within the framework of the Act and the rules and regulations made there under in accordance with the general policy and principles laid down by the Central Council. The Committee is represented by all the three system of Indian Medicine i. e. Ayurveda, Siddha, and Unani.

The following are the members of the Executive Committee :-

Chairman	Prof. Hakim Syed Khaleefathullah	President
Members	Dr. Ram Kumar Sharma	Vice-President (Ayurved)
	Dr. A. Anandakumar	Vice-President (Siddha)
	Hakim M. A. Razzack	Vice-President (Unani)
	Dr. S. T. Gujar	
	Vaidya Pramod Kumar Tewari	
	Vaidya Shri Ram Sharma	
	Dr. K. Madhavan Nair	
	Prof. Hakim Mohd. Taiyab	
	Hakim Ved Prakash Sharma	
	Dr. K. Palanichamy	

REGULATION COMMITTEE

The Regulation Committee was constituted by the Council to draw up the various regulations of the Central Council as required from time to time and to consider various matters relating thereto under the IMCC Act, 1970.

The following are the members of the Regulation Committee :-

Chairman	Vaidya Pt. Mahesh Dutt Shastri	President
Members	Prof. Hakim Syed Khaleefathullah	Vice-President (Ayurved)
	Dr. Ram Kumar Sharma	

Dr. A. Anandakumar	Vice-President (Siddha)
Hakim M. A. Razzack	Vice-President (Unani)
Vaidya Madan Mohan Pushkarna	
Vaidya P. H. Kulkarni	
Vaidya Hari Narain Swami	
Vaidya Harish Chandra Shukla	
Dr. Swapneshwar Panda	
Vaidya Panchayya Hosmath	
Dr. Mahendra Dutt Sharma	
Dr. Janardan N. Dave	
Dr. T. Achuthan Kutty Nair	
Dr. P. B. Satakopacharya	
Dr. Maheshwar Pandey	
Dr. T. Srinivas Rao	
Dr. Gulshan Rai Sharma	
Dr. D. Radhakrishnamurthy	
Dr. J. D. Sanderwale	
Dr. Bansi Lal Pandita	
Dr. Abdur Rahman	
Hakim Dharam Chand	
Dr. D. Eramia Vaidyar	

REGISTRATION COMMITTEE

The Council constituted a Registration Committee to look into the matter relating to recognition and inclusion of various medical qualifications in the Schedules to IMCC Act, 1970 and to make recommendations on the subject. The consideration of the matters relating to the registration is also under the purview of this Committee.

The following are the members of Registration Committee :-

Chairman	Dr. Prasanna Kumar Jain	President
Members	Prof. Hakim S. Khaleefathullah	Vice-President (Ayurved)
	Dr. Ram Kumar Sharma	Vice-President (Siddha)
	Dr. A. Anandakumar	Vice-President (Unani)
	Hakim M. A. Razzack	
	Prof. R. C. Chaturvedi	
	Dr. G. M. Bhawsar	

Krishna Chandra Sharma
dya Hari Krishna S. Joshi
P. K. Debnath
Iya Shiv Kumar Vyas
Prem Dutt Sharma
A. C. Rahula Kumar
D. R. Patel
B. A. Hiremath
Chikkarajanna
Ram Prakash Gupta
ndra Mohan Jha
ladan Sarup Gupta
T. Khan
Mohd. Umar
aulat Ram Bharaj
Faizan Ahmed

COMMITTEES (AYURVED, SIDDHA & UNANI)

committees are competent to deal with all the matters pertaining
Unani education respectively.

members of the Education Committees of Ayurved, Siddha

REGISTRATION COMMITTEE (AYURVED)

Nagral
Kumar Sharma
Shri Ram Sharma
Devendra Kumar Triguna

Vice-President (Ayurved)

Dr. Ananda Roy
Dr. Satyapal Gupta
Vaidya S. G. Phadke
Dr. S. M. Angadi
Dr. Hukam Chand Sharma
Dr. S. P. Dixit
Dr. P. Sankaran Nair
Vaidya S. K. Mishra
Vaidya Jagannath Mishra
Prof. P. V. Sharma
Dr. Hari Shankar Pandey
Dr. Ramesh Mishra
Kaviraj B. N. Gupt
Dr. V. Narayanaswami
Dr. P. H. Kulkarni
Dr. Vijay Shankar Trivedi

EDUCATION COMMITTEE (SIDDHA)

Chairman
Members

Dr. A. Anandakumar
Dr. C. S. Uthamaroyan
Dr. G. Annaswami
Dr. K. Palanichamy

Vice-President (Siddha)

EDUCATION COMMITTEE (UNANI)

Chairman
Members

Prof. Hakim Mohd. Taiyab
Hakim M. A. Razzack
Hakim Fazlur Rahman
Dr. Syed Shaji Hyder

Vice-President (Unani)

Dr. Krishna Chandra Sharma
 Vaidya Hari Krishna S. Joshi
 Dr. P. K. Debnath
 Vaidya Shiv Kumar Vyas
 Dr. Prem Dutt Sharma
 Dr. A. C. Rahula Kumar
 Dr. D. R. Patel
 Dr. B. A. Hiremath
 Dr. L. Chikkarajanna
 Dr. Ram Prakash Gupta
 Dr. Indra Mohan Jha
 Dr. Madan Sarup Gupta
 Dr. M. T. Khan
 Hakim Mohd. Umar
 Dr. Daulat Ram Bharaj
 Hakim Faizan Ahmed

EDUCATION COMMITTEES (AYURVED, SIDDHA & UNANI)

The Education Committees are competent to deal with all the matters pertaining to Ayurved, Siddha and Unani education respectively.

The following are the members of the Education Committees of Ayurved, Siddha and Unani :-

EDUCATION COMMITTEE (AYURVED)

Chairman Dr. S. I. Nagral
Members Dr. Ram Kumar Sharma
 Vaidya Shri Ram Sharma
 Vaidya Devendra Kumar Triguna
 Vaidya Pt. Shiv Karan Sharma Chhangani
 Vaidya Nanak Chand Sharma
 Prof. Ram Prakash Swami
 Dr. Tarnni Kant Talukdar
 Vaidya Bhagyawanti Verma
 Dr. Ram Prakash Gupta
 Dr. G. N. Biradar

Vice-President (Ayurved)

Dr. Ananda Roy
 Dr. Satyapal Gupta
 Vaidya S. G. Phadke
 Dr. S. M. Angadi
 Dr. Hukam Chand Sharma
 Dr. S. P. Dixit
 Dr. P. Sankaran Nair
 Vaidya S. K. Mishra
 Vaidya Jagannath Mishra
 Prof. P. V. Sharma
 Dr. Hari Shankar Pandey
 Dr. Ramesh Mishra
 Kaviraj B. N. Gupt
 Dr. V. Narayanaswami
 Dr. P. H. Kulkarni
 Dr. Vijay Shankar Trivedi

EDUCATION COMMITTEE (SIDDHA)

Chairman Dr. A. Anandakumar
Members Dr. C. S. Uthamaroyan
 Dr. G. Annaswami
 Dr. K. Palanichamy

Vice-President (Siddha)

EDUCATION COMMITTEE (UNANI)

Chairman Prof. Hakim Mohd. Taiyab
Members Hakim M. A. Razzack
 Hakim Fazlur Rahman
 Dr. Syed Shaji Hyder
 Hakim Mohd. Ashraf Karim
 Hakim Abdul Mobin Khan
 Hakim Faiyaz Alam
 Dr. S. K. Khadri
 Hakim Mohd. Iqbal Khan
 Hakim Mohd. Ahmad Lari
 Dr. Madan Sarup Gupta

Vice-President (Unani)

During the year 1986-87 the following meetings were held :-

- | | | |
|-----|-------------------------------|-------|
| 1. | Central Council | One |
| 2. | Ayurveda Committee | One |
| 3. | Siddha Committee | One |
| 4. | Unani Committee | One |
| 5. | Executive Committee | Three |
| 6. | Education Committee (Ayurved) | One |
| 7. | Education Committee (Unani) | One |
| 8. | Registration Committee | One |
| 9. | Sub-Committee (Ayurved) | One |
| 10. | Sub-Committee (Regn.) | One |

The annual meeting of the Central Council was held on 10th and 11th March, 1987 at New Delhi. The Council ratified the minutes of the meetings of various Committees held during the year except Regulation Committee.

The Council made the following recommendations :-

1. The Central Council decided that the visitation report should contain the facts and clear picture of the institution and short-comings existed there.

The Central Council approved the model standard proforma for preparation of visitation/inspection report by the visitors.

It was also decided that atleast one member of the visitation team should be from academic side.

2. The Central Council recommended that Government of India, Ministry of Health & Family Welfare be requested to include the name of practitioners of Indian System of Medicine in the team of delegation visiting the foreign countries for cultural purposes in future.

3. It was noted that Government of India has been implementing various schemes to provide financial assistance to various needy persons like old age pension and to the persons who served the country like freedom fighters. Similarly old practitioners of Indian Medicine have been the protectors of Indian Medicine since the British rule while this part of Indian culture was badly neglected and due to their efforts only Indian Medicine could survive. Moreover, their clinical knowledge and preservation of Manuscript could attribute to establishment of education/professional institutions and publication of Indian Medicine literature. It was decided that Government of

India be requested to implement a pension scheme for old age practitioners of Indian Systems of Medicine also.

It was decided that an International Seminar for Indian Systems of Medicine should be organised.

4. It was noted that the Government declared to award the doctors serving in rural areas of the country in shape of Rural Allowances. But the Doctors of Indian Systems of Medicine actually who are serving in most interior part of the rural areas are being deprived of getting the rural allowances. It was, therefore, decided that Government be requested to extend the privileges to all the Doctors of Ayurveda, Unani, Siddha and allopathy without discrimination throughout the country.

AYURVED

The Council noted that the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare sent the comments on proposed curriculum and syllabus for 4½+1 years degree course in Ayurved. The comments of the Ministry were considered and the following resolution was passed on the recommendations of Ayurved Committee by the Central Council :-

"Ayurved Committee considered letter No. V. 26017/4/86-AE dated 6-3-1987 received from the Ministry of Health & Family Welfare and found that nothing objectionable has been considered by the Government of India in detail syllabus of different subjects. Ayurved Committee also felt that the duration of restructured 4½+1 years Curriculum and Syllabus shall remain as such because the division of education and training is more scientific as per contemporary set up."

It was decided to request the Government of India to accord its sanction to restructured 4½+1 year Curriculum & Syllabus as decided in 1986 from academic session 1986-87. It was also decided unanimously to implement the same from academic session going on at present in anticipation of the sanction of the Government.

It was also decided that with the provision of (in the proposed 4½+1 years set up) direct appointment of Post-graduate degree holders to the post of lecturer and graduate promotion of existing in service demonstrators, need for formal decision for abolition just do not exist there. The concerned authority of States be intimated once the sanction of Govt. of India to the proposed degree course in Ayurved is received so that Demonstrator may be promoted and proportionate number of post of lecturers be created so that total number of teaching staff remains the same atleast.

The Central Council also decided as under :-

"Taking into consideration the Authority of Ayurveda in the subject as per its two very popular concepts : स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् and प्रसन्तमेन्द्रियमनः स्वस्थ इत्यभिधीयते also the intense international interest in the subject and subject of Health for all by the year 2000 A. D. of W. H. O immediate steps to be taken to start :-

1. P. G. departments of Swasthavritta & Yog of Ayurveda in every P. G. (Ay.) institution of the country.
2. A full fledged National Institute of Swasthavritta & Ayurved Yoga.

This will help to produce authentic qualified persons to present a correct picture of Yoga to the world at large and will very much help to raise the standard of the physical, mental and moral health of our countrymen as a whole.

The Central Council decided that a full fledged ISM wing be started in all the big hospitals in India especially in the All India Institute of Medical Sciences Hospital, New Delhi a premier hospital in country for achieving the success in the treatment of general even acute diseases of the mankind to reach the goal of achieving Health to general public by 2000 A. D.

It was further decided that full fledged I.S.M. Hospital of 500 beds should also be established in Delhi, the Capital of the country by the Central Government and in the State Capitals by State Government to cope with the demand of ill public.

The following institutions of Ayurved were visited during the year :

S. No.	Name of the College	Date of Visitation	UG/PG
1.	Maharani Rameshwari Bhartiya Chikitsa Vigyan Sansthan, Mohanpur, Darbhanga (Bihar)	11-4-86	UG
2.	P.B.N. Institute of Indian Medicine Sciences, Ranti, Madhubani	12-4-86	UG
3.	Swami Raghvendracharya Tridandi Ayurved Mahavidyalaya, Karjara	22-7-86	UG
4.	Ayurvedic Medical College, Gaya (Bihar)	21-7-86	UG
5.	Dayanand Ayurved Mahavidyalaya, Siwan (Bihar)	23-7-86	UG
6.	Ayurved Mahavidyalaya, Chhapra (Bihar)	24-7-86	UG
7.	Government Ayurvedic College, Patna	10-4-86	UG
8.	National Institute of Ayurveda, Jaipur	11 & 12-4-86	PG

9.	M.M.M. Govt. Ayurvedic College, Udaipur	25-8-86	PG
10.	National Institute of Ayurved, Jaipur	26-8-86	PG
11.	Ayurved Mahavidyalaya, Ahmednagar	5-5-86	PG
12.	Swami Kalyan Dev Government Ayurvedic College, Rampur, Muzaffarnagar	1-10-86	PG
13.	Ravindra Nath Mukerjee Ayurved Mahavidyalaya, Motihari (Bihar)	17-9-86	UG
14.	Ayodhya Shiv Kumari Ayurvedic College, Begusarai (Bihar)	19-9-86	UG
15.	Govt. Ayurvedic College, Post-graduate Centre, Trivendrum	5-12-86	PG
16.	Gaur Brahman Ayurvedic College, Rohtak	10-11-86	UG
17.	Mastnath Ayurvedic College, Asthal Bohar (Haryana)	11-11-86	UG
18.	Mahila Ayurved Degree College, Khanpur Kalan (Sonapat)	10-11-86	UG
19.	Shri Krishna Government Ayurved Mahavidyalaya, Kurukshetra	11-11-86	UG
20.	Shri Yatindra Narayan Astang Ayurved Mahavidyalaya, Bhagalpur	18-9-86	UG
21.	Shri Dhar m Samaj Sanskrit Mahavidyalaya Muzaffarpur	22-7-85	UG
22.	Nitishawar Bhartiya Chikitsa Vigyan Sansthan, Muzaffarpur, Bihar	10-11-85	UG

UNANI

The Central Council decided the following guidelines for appointment of examiners and question paper setters etc. for examinations of Kamil-e-Tib-o-Jarahat course :

1 No person should ordinarily be recommended for appointment as examiner in any of the subjects of the professional examinations leading to and including the final professional examination for the Degree of BUMS unless he has taken the requisite Unani qualification of not less than four years duration from a recognised University or an equivalent qualification in that particular subject and had atleast three years Under-graduate teaching experience in the subject concerned in an affiliated college

Name of Awarding Body	Qualification	Year
1. Himachal Pradesh University, Shimla	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery)	BAMS Degree obtained by passing examination held in August, 1985
2. Faculty of Ayurved & Unani Systems of Medicine, Bombay	Fellow of the Faculty of Ayurvedic Medicine	FFAM From 1971 to 1982
3. Rajasthan University, Jaipur	Ayurvedacharya Ayurved Brihaspati Ayurvedacharya	From 1972-80 From 1972-82 From 1981-84
4. Rajputana Ayurvedic & Unani Tibbi College, Jaipur	Umde-tul-Hukma Tibb-Fazil	From 1930-80 From 1930-81
5. Jamiatun Nagba Unani Medical School, Allahabad	Matamidut-tib-wal Jarabat	MUMS From 1905-82
6. Haryana State Faculty of Ayurvedic & Unani Systems of Medicine, Chandigarh	Ayurvedacharya (Graduate in Ayurvedic Medicine & Surgery)	GAMS From 1971-76
7. Tilak Maharashtra Vidyapeeth Pooa	Ayurvediya Parangat	A.V.P. From 1942-80
8. Karnataka University Dharwar	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery)	BAMS From 1984 onwards
9. Punjab State Faculty of Ayurvedic & Unani Systems of Medicine, Chandigarh	Ayurvedacharya (Graduate in Ayurvedic Medicine & Surgery)	GAMS From 1960-82
10. Vedic & Unani Tibbi College Amritsar	Vaid Shastri	Upto 1947
11. Paschim Banga Ayurved Parishad, Calcutta	Diploma in Ayurvedic Medicine and Surgery Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery	DAMS From 1979-83 BAMS From 1979-84

12. Ayurvedic and Unani Tibbi College, Amritsar and Vedic and Unani Tibbi College, Amritsar	Zabadate-ul-Atibba	Upto-1947
13. Sri Venkateshvara University, Tirupati	Kamil-e-tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery)	BUMS From 1985 onwards.
14. Examining Body, Ayurvedic and Unani Systems of Medicine Delhi.	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery)	BAMS From 1978 onwards

The preparation and maintenance of the Central Register of Indian Medicine is one of the main functions of the Central Council. The Central Government has sanctioned staff for this purpose. The work of preparation of Central Register of Indian Medicine is in progress.

The Council maintains minimum standard of institutions of ISM by carrying out visitation of colleges of ISM by the visitors of Council to assess the availability of Minimum requirements laid down by the Council in relation to departments, teaching staff, student-bed-ratio, laboratory facilities, library facilities, building, Herb garden, Pharmacy and Hospital facilities.

ADMINISTRATION & FINANCE

The Central Council approved the Revised estimates amounting to Rs. 15,23,027,25 for the year 1986-87 and Budget estimates amounting to Rs. 8,68,000,00 for the year 1986-88 under Plan.

The Central Council approved the revised pay scales for implementation in the office of the Central Council of Indian Medicine as recommended by the Fourth Central pay Commission and sanctioned by Central Government.

The Central Council approved the proposal for purchase of a staff car for the office of the Central Council of Indian Medicine.

BUDGETARY RESOURCES

The Budget estimates and revised estimates for the year 1986-87 proposed by the Council and sanctioned by the Government of India are as under :—

NON-PLAN

Proposed by the Council

**Sanctioned by
Govt. of India**

Budget Estimates
Revised Estimates

12, 35, 700.00
15, 23, 027.29

9, 70, 000. 00
10, 66, 000. 00

PLAN

Budget Estimates
Revised Estimates

8, 68, 000.00
5 73, 817.00

5, 00, 000. 00
3. 80. 000. 00

The Budget estimate for the year 1987-88 are as under :—

NON-PLAN

Budget Estimates

17, 60, 900.00

8, 00, 000. 00

PLAN

Budget Estimates

8, 32, 800.00

8, 00, 000. 00

The Central Council is a small organisation. However, every care has been taken to ensure that the reservations made by the Government of India for different categories are maintained. Out of the 30 employees in the Central Council, the reservation made for different categories is as under :—

Schedule Caste	4
Schedule Tribe	1
Physically Handicapped	2
Ex-serviceman	1

STATEMENT OF ACCOUNTS :-

Accounts of the Central Council for the year 1986-87 were audited by the Director of Audit, Central Revenue, New Delhi and the report is annexed herewith.

BUDGETARY RESOURCES

The Budget estimates and revised estimates for the year 1986-87 proposed by the Council and sanctioned by the Government of India are as under :—

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT, CENTRAL REVENUES
INDRAPRASTHA ESTATE, NEW DELHI-110002.

To

Secretary to the Government of India
Ministry of Health & family welfare,
(Deptt. of Health,) Nirman Bhawan,
NEW DELHI

SUBJECT: Audit Report on the Central Council of Indian Medicine, New Delhi for the year 1986-87.

Sir,

I am to enclose a copy of the certified annual account of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi for the year 1986-87 together with the audit report thereas for being laid on the table of Parliament.

Two copies of the documents as presented to Parliament may please be forwarded to this office and also to the office of the Comptroller & auditor General of India, New Delhi indicating the date which these were presented to Parliament. Hindi version of Audit Report together with audit certificate will follow on receipt of the 5 copies of accounts in Hindi from the Council.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,
Sd/-
Dy. Director of Audit (Inspn.II)

No.DA.IV/SAR/CCIM/2-7/87-88/1018

Dated 29.3.1988

Copy together with a copy of the certified accounts alongwith audit report thereon forwarded to the Registrar-cum-Secretary, CCIM, 1-E/6, Swami Ramtirth Nagar, New Delhi for necessary action.

The date on which the certified accounts for the year 1986-87 were considered may please be intimated to this office.

2. Five copies of the annual accounts in Hindi may please be furnished to this office to issue Hindi version of the Audit Report.

Sd/--
Dy. Director of Audit (Inspn.II)

Budget Estimates 12, 15, 700.00
Revised Estimates 13, 14, 000.00

PLAN

Budget Estimates 8, 12, 000.00
Revised Estimates 7, 11, 000.00

The Budget estimate for the year 1987-88 is as under:

NON-PLAN

Budget Estimates 7, 00, 000.00
Revised Estimates 6, 99, 000.00

PLAN

Budget Estimates 8, 32, 000.00
Revised Estimates 8, 31, 000.00

The Central Council is a legal organization. However, the accounts are maintained in the Government of India for different categories and maintained. Out of the 20 employees in the Central Council, the regular staff for different categories is as under:-

- Schedule Caste 4
- Schedule Tribe 1
- Physically Handicapped 2
- Ex-serviceman 1

STATEMENT OF ACCOUNTS

Accounts of the Central Council for the year 1986-87 were audited by the Director of Audit, Central Revenue, New Delhi and the report is annexed herewith.

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the accounts and the Balance Sheet of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi for the year ending 31st March, 1987. I have obtained all the information and explanations that I have required, and subject to the observations in the appended audit Report, I certify as a result of my audit, that in my opinion, these accounts and the Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Council according to the best of my information and explanations given to me and as shown in the books of the council.

Sd/--

Pr. Director of Audit Central Revenues

NEW DELHI

DATED:- 29.3.1988

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI

Audit Report on Central Council of Indian Medicine, New Delhi for the year 1986-87.

Comments of Audit Report

1. The Central Council of Indian Medicine (Central Council) was established in 1971 under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 with the object of maintenance of a Central Register of Indian Medicine (Ashtang Ayurveda, Siddha or Unani Tibb) & other matters connected therewith. The Council is financed mainly by grant from the Government of India. The Council received grants amounting to Rs.14.46 lakh during the year 1986-87.

2.1 The Council had purchased a photo copier machine during 1986-87 for Rs.1,92,057.50. The supplier were paid Rs.1,82,057.50 in cash who accepted as old pana print photo stat machine originally costing Rs.13,728.00 for Rs.10,000.00. In the balance sheet Rs.1,82,057.50 was shown as assets for 1986-87 instead of Rs.1,92,057.50 thereby, diminishing the cost of assets with the Council by Rs.10,000.00.

Comments of Council.

1. The Central Council received the grants amounting to Rs.14.46 lakh during the year 1986-87 as under:-

Non Plan	Rs.10.66 lakh
Plan	Rs. 3.80 lakh

2.1 The Council had purchased a photo copier machine during 1986-87 under Plan for Rs.1,92,057.50 but the supplier was paid Rs.1,82,057.50 because the supplier had deducted an amount of Rs.10,000.00 for old Pana Print machine from the actual cost Rs.1,92,057.50 in the bill. So a sum of Rs.1,82,057.50 was shown as assets in the Balance Sheet for 1986-87 instead of Rs.1,92,057.50. As desired by audit the needful shall be done in accounts for the year 1987-88.

2.2 The difference of Rs.71,403.30 between the figures of General Reserve (Rs.5,88,601.26) and Assets (Rs.5,17,197.96) in the balance sheet as on 31st March, 1987 represented excess of income over expenditure. The excess of income over expenditure did not indicate the balance brought forward from old balance sheet for 1985-86. This should have been exhibited in the Balance Sheet.

2.2 The difference of Rs.71,403.30 between the figures of General Reserve (Rs.5,88,601.26) and Assets (Rs.5,17,197.96) in the balance sheet as on 31st March, 1987 has been bifurcated as per suggestion of audit as under:-

<u>Liabilities</u>		<u>Assets</u>	
<u>General Reserve</u>			
<u>NON PLAN</u>		<u>NON PLAN</u>	
Assets acquired the day of Estb.	20,080.15	Furniture & Fixture	76,564.68
<u>Assets acquired out of Govt. Grants</u>			
As per Last Balance Sheet	2,56,542.33	Library books	10,125.91
Grant Capitalised during the year	<u>6,181.00</u>	Air Cooling Appliances	38,537.53
	2,62,723.33	Office equipments	1,34,847.36
Less Capital Investment	<u>13,728.00</u>		
Total	2,48,995.33	Total	<u>2,69,075.48</u>
<u>PLAN</u>		<u>PLAN</u>	
Assets acquired the day of Estb.	nil	Furniture & Fixture	25,205.18
<u>Assets equired out of Govt. Grants</u>			
Grant Capitalise during the year	<u>2,48,122.48</u>	Office equipment	<u>2,22,917.30</u>
	2,48,122.48		<u>2,48,122.48</u>
	<u>5,17,197.96</u>		<u>5,17,197.96</u>

Excess of Income over Expenditure as per last Balance Sheet under Non Plan	Rs.24,545.21
Add-Excess of Income over Expenditure during the year 1986-87 under Non Plan	Rs.11,886.62
Add-Excess of Income over Expenditure during the year 1986-87 under Plan	Rs.14,016.59
Difference of Assets over Liabilities credited in General Reserve as per previous Balance Sheet under Non Plan	<u>Rs.20,954.88</u>
Difference of General Reserve & Assets as on 31.3.87.	<u>Rs.71,403.30</u>

This difference will be absorbed in future.

2.3 The Council had received Rs.3,33,500.00 (Rs.29,000.00 in 1984-85 and Rs.3,04,500.00 in 1985-86) from the World Health Organisation for organising a Seminar of Indian Systems of Medicines. The entire amount during 1985-86 placed at the disposal of the project officer (Registrar) in a separate Bank Account was shown as expenditure in the account instead of being shown as an advance. Despite this irregularity having been mentioned in the Audit Report for the year 1985-86, the transactions have not been properly incorporated in the accounts of the Council even during 1986-87.

2.4 The Central Council had been making advance payments to the Directorate of Advertising and Visual Publicity (DAVP) much in excess of the actual expenditure incurred on publicity thereby, leaving huge unspent amounts (ranging from Rs.0.93 lakh during 1980-81 to Rs.2.53 lakh during 1985-86) with the DAVP. The unspent balance with the DAVP at the end of 1986-87 was Rs.1.62 lakh.

2.3 The transactions pertaining to the Seminar organised by the Council with the amount of World Health Organisation will be incorporated in the accounts for the year 1987-88.

2.4 There was an unadjusted amount of Rs.2,52,724.66 lying with DAVP as on 31.3.86 out of which a sum of Rs.90,751.14 was adjusted by DAVP during the period from 1.4.86 to 31.3.87. This way a sum of Rs.1,61,973.52 remained unadjusted with DAVP as on 31.3.87. The position as on 31.3.87 was as under:-

Credit balance with DAVP as on 31.3.86	Rs. 2,52,724.66
Less adjusted by DAVP during 1986-87	<u>Rs. 90,751.14</u>
Credit balance with DAVP as on 31.3.87	<u>Rs. 1,61,973.52</u>

The Central Council has already requested the DAVP to refund the amount of Rs.1,61,973.52 vide letter No.10-13/87-Accts. dated 21.8.87 and reminded on 15.10.87, 13.11.87 & 20.1.88.

The DAVP vide letter No.AD/3-4/87-88/240 dated 23.2.88 has intimated that the bills from 13 newspapers were still awaited. As soon as the payment of outstanding bill is made the unspent balance would be refunded to the Council.

3. Pension-cum-Death-cum-Retirement Gratuity Scheme including Family Pension Scheme, was introduced in the Central Council with effect from April, 1983. According to the terms and conditions, this scheme was to be financed out of the pension fund to be created from funds already available with the Council on account of employer's contributions to Contributory Provident Fund and interest on investment of such contribution. No additional grants for augmenting the Pension Fund were to be released by the Central Government. Even so, the Council transferred a total sum of Rs.0.67 lakh to C.P. Fund its share of C.P. Fund contributions between the years 1983-84 and 1986-87 as detailed below:-

1983-84	14,568.38
1984-85	13,880.50
1985-86	14,656.00
1986-87	<u>23,611.00</u>
	Rs. <u>66,715.88</u>

Besides this, a sum of Rs.42,000/- was also transferred from grants in aid to Pension Fund. This had resulted in over drawal of grants to the extent of Rs.1.09 lakh.

4. The Council was established in 1971. However, its accounts had not been subject to internal audit by the Ministry so far. Internal audit should be introduced.

3. It is submitted that the Central Council has bifurcated the Employee's subscription and Council's Contribution in General Provident Fund and Pension-cum-Gratuity Fund in the year 1986-87. Seperate accounts are being maintained for the both funds. The Council has transferred the Council's Contribution with interest from the inception of the Council upto 31.3.87 an amount of Rs.1,61,596.70 in Pension-cum-Gratuity Fund. An additional sum of Rs.42,000/- out of the Grant-in-aid (Non Plan) was also transferred to Pension Fund in the year 1986-87 to make the Pension Fund self generating.

It is submitted that an Audit Party of Ministry of Health & Family Welfare conducted the Internal audit of the Council on 29.10.87 to 2.11.87 for the period 1986-87 and upto October, 1987.

Balance B/F

11,86,437.47 3,80,000.00

Balance B/F

7,24,364.97

1,17,860.93

(B) Non-Recurring Expenditure

Books for Library	1,221.60		
Office equipments	4,959.40		
Furniture & Fixture		6,181.00	2,22,917.30
			<u>25,205.18</u>
2,48,122.48			
<u>III-TA/DA to members/Secretary/Estt for various meetings.</u>			
President/Secretary/Establishment	19,598.10		
Members of Council	1,27,747.10		
Members of Executive Committee	26,870.90		
Members of Education Committee (Ay)	15,107.50		
Members of Education Committee (U)	11,174.00		
Members of Regulation Committee	26,973.50		
Members of Sub-Committee	12,965.90		
Members of Visiting Committee	55,955.50		
Members of Selection Committee	3,322.70	2,99,715.20	
Adjustment of Error in TA/DA 1984-85		318.90	
TA/DA paid in excess to member 86-87		318.90	
<u>IV-Loan & Advance paid to employees</u>			
Festival Advance	7,200.00		
Cycle Advance	800.00		
Table Fan Advance	2,000.00	10,000.00	
V-Amount paid to G.P.Fund		16,044.60	
VI-Amount paid to Pension Fund		65,707.00	
VII-Amount paid in lieu of Uncashed Cheques		397.90	
<u>VIII- Amount paid to-</u>			
Employees of Group Insurance Scheme	5,500.00		
L.I.C. for Group Insurance Scheme	2,500.00	8,000.00	
<u>IX- Remittance of Income Tax</u>			
Amount paid of Income Tax of Sh.R.K. Jain & Sh.S.K.Singh 1986-87		2,059.00	
<u>Closing Balance as on 31.3.1987</u>			
Bank Balance in current A/c with Bank of India	49,143.48		14,016.59
Cash in hand	192.00		N11
Stamps in Franking Machine	3,994.52	53,330.00	N11 14,016.59

TOTAL

11,86,437.47 3,80,000.00

TOTAL

11,86,437.47

3,80,000.00

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI-110055

Income and Expenditure Account for the ended year 31st March, 1987

<u>EXPENDITURE</u>	<u>NON - PLAN</u>		<u>PLAN</u>		<u>INCOME</u>	<u>NON-PLAN</u>		<u>PLAN</u>	
	<u>AMOUNT</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>AMOUNT</u>		<u>AMOUNT</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>AMOUNT</u>
<u>I-Pay & Allowance</u>									
Pay of Officers	17,511.29			--	Grant-in-aid received from the Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi during 1986-87.	10,66,000.00			3,80,000.00
Leave Salary of Officers	738.71			--	Less-Grant-capitalise	<u>6,181.00</u>	10,59,819.00	<u>2,48,122.48</u>	1,31,877.52
Pay of Establishment	1,65,066.01		28,656.40		Received for Income Tax from Sh. R.K.Jain and Sh.S.K.Singh 1986-87			2,059.00	
Leave Salary of Establishment	16,244.90			--	Received from employees from Table Fan Advance			2,000.00	
Dearness & Add. Dearness Allow.	1,81,439.96		4,690.00		<u>Miscellaneous Receipts</u>				
House Rent Allowance	52,942.80		7,182.80		Uncash Cheques	52,097.90			
City Compensatory Allowance	12,281.48		1,311.70		Fees for the Post of LDC	3,343.50			
Washing Allowance	1,170.00		45.00		Sale of Old paper/Raddi	1,000.00			
Interim Relief	27,003.70		687.20		Employees for Group Insurance Scheme	8,000.00			
Bonus	17,456.80		--		Interest on Cycle & Table Fan Advance	133.50			
Overtime Allowance	1,091.40		--		Private Trunk Call Charges	4.00			
Medical Reimbursement	726.00		--		Electric Expenses	1,921.29			
Leave travel Concession	1,240.00		--		General Provident Fund	<u>116.00</u>	66,616.19		
Tuition Reimbursement	98.00		--						
Salary to PA of President	<u>2,875.00</u>	4,97,886.55		42,573.10					
<u>II-Contingencies</u>									
Stationary	21,393.62		6,750.63						
Telephones	8,090.10		9,157.97						
Postage & Telegrams	8,226.43		--						
Printing Expenses	15,494.00		1,450.00						
Building Rent	1,08,100.00		--						
Electric Expenses	6,902.85		--						
Newspaper & Periodical Books	1,862.32		--						
Conveyance Expenses	4,717.65		--						
Sunderies including Liveries	38,434.17		3,332.50						
Maintenance of Office equipment	12,979.03		40,786.28						
Bank Charges	278.25		--						
Advertisement	--		2,360.00						
Publication	--		9,706.00						
Legal Expenses	--	2,26,478.42	<u>1,744.45</u>	<u>75,287.83</u>					
Balance C/F		7,24,364.97		1,17,860.93	Balance C/F		11,30,494.19		1,31,877.52

.....2/-

Balance B/F

7,24,364.97

1,17,860.93

Balance B/F

11,30,494.19

1,31,877.52

III-TA/DA to Members/Secretary/Staff for various Meeting

President/Secretary/Estt	19,598.10	
Members of Council	1,27,747.10	
Members of Executive Committee	26,870.90	
Members of Education Committee (Ay)	15,107.50	
Members of Education Committee (U)	11,174.00	
Members of Regulation Committee	26,973.50	
Members of Sub-Committee	12,965.90	
Members of Visiting Committee	55,955.50	
Members of Selection Committee	<u>3,322.70</u>	2,99,715.20

IV- Adjust-ment of error 1984-85 318.90

V -Amount paid to Pension Fund 65,707.00

VI- Amount paid to General Provident Fund 16,044.60

VII-Amount paid in lieu of old und~~h~~ash cheques 397.90

VIII-Amount paid to -		
Employees of Group Insurance Scheme	5,500.00	
L.I.C. for Group Insurance Scheme	<u>2,500.00</u>	8,000.00

IX - Amount paid to employees for Table Fan Advance 2,000.00

X- Amount paid to Income Tax of Sh.R.K. Jain and Sh.S.K.Singh 1986-87 2,059.00

Excess of Income over Expenditure 11,886.62.

14,016.59


TOTAL 11,30,494.19
=====

1,31,877.52
=====

TOTAL

11,30,494.19
=====

1,31,877.52
=====


 Registrar
 Central Council of Indian Medicine
 New Delhi-110055


CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI-110055

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 1987

LIABILITIES	NON-PLAN		PLAN		ASSETS	NON-PLAN		PLAN		
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT		AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	
<u>General Reserve-</u>					<u>(A) Non-Recurring Nature</u>					
As Per last Balance Sheet	3,22,144.76				<u>Furniture & Fixture (A)</u>					
Less-Capital Investment written off	<u>13,728.00</u>				As per last Balance Sheet	76,564.68			--	
	3,08,416.76				Addition during the year				25,205.18	
Add -Grant Capitalise	<u>6,181.00</u>		2,48,122.48		<u>Library Books (B)</u>					
	3,14,597.76				As per last Balance Sheet	17,904.31			--	
Less--Adjusted amount	<u>22.19</u>				Addition during the year	<u>1,221.60</u>	19,125.91		--	
	3,14,575.57				<u>Air Cooling Appliances(C)</u>					
Add-Excess of Income over expenditure	<u>11,886.62</u>	3,26,462.19	<u>14,016.59</u>	2,62,139.07	As per last Balance Sheet	38,537.53			--	
<u>Sundry Creditor</u>					<u>Office Equipment (D)</u>					
<u>Advertisement to DAVP</u>					As per last Balance Sheet	1,43,615.96				
As per last Balance Sheet			2,52,724.66		Sheet					
Less-adjusted during the year			<u>90,751.14</u>	1,61,973.52	Addition During the year	<u>4,959.40</u>			2,22,917.30	
Suspense Account	22.19				year	1,48,575.36				
					Less Redemption during the year	<u>13,728.00</u>	1,34,847.36	2,69,075.48	--	2,48,122.48
					<u>(B) Recurring Nature</u>					
					<u>Loans & Advance</u>					
					<u>(a) Advance to staff</u>					
					<u>(i) Festival Advance</u>					
					As per last Balance Sheet	2,040.00				
					Addition during the year	<u>7,200.00</u>				
						9,240.00				
					Less-Recoveries during the year	<u>5,720.00</u>	3,520.00			
					<u>(ii) Cycle Advance</u>					
					As per Last Balance Sheet	33.00				
					Addition during the year	<u>800.00</u>				
						833.00				
					Less-Recoveries during the year	<u>593.00</u>	240.00			
					<u>(b) Advance to DAVP</u>					
					As per last Balance Sheet				2,52,724.66	
					Less Adjusted during the year				<u>90,751.14</u>	
					(c) Sundry Debtor (TA/DA Members)			318.90	1,61,973.52	
					<u>Cash & Bank Balance as on 31.3.87</u>					
					Bank of India	49,143.48			14,016.59	
					Cash in hand	192.00			--	
					Stamps in Franking Machine	<u>3,994.52</u>	53,330.00		--	
									14,016.59	
Balance C/F		3,26,484.38		4,24,112.59	Balance C/F		3,26,484.38		4,24,112.59	

	3,26,484.38	4,24,112.59	
Balance B/F			
<u>General Provident Fund</u>			
As per Last Balance Sheet	2,25,906.77		
Addition during the year	<u>50,086.60</u>		
	2,75,993.37		
Less Transferred to Current A/c	<u>58.00</u>		
	2,75,935.37		
Less-Final Payment during the year	<u>25,668.50</u>		
	2,50,266.87	--	
Add-Interest earned during the year	<u>11,250.90</u>	2,61,517.77	
<u>Pension Fund</u>			
Transferred from G.P.Fund Balance Sheet 1986-87	1,61,596.70		
Addition during the year	<u>42,000.00</u>	2,03,596.70	--
TOTAL	<u>7,91,598.85</u>	<u>4,24,112.59</u>	

	3,26,484.38	4,24,112.59	
Balance B/F			
<u>General Provident Fund</u>			
<u>(A) Investment in Special Deposit Scheme</u>			
As per last Balance Sheet	1,09,000.00		
Addition during the year	<u>1,500.00</u>	1,10,500.00	--
<u>(B) Loan to Employees</u>			
As per last Balance Sheet	30,320.00		
Addition during the year	<u>37,670.00</u>		
	67,990.00		
Less Recoveries during the year	<u>36,275.00</u>	31,715.00	--
(c) Bank Balance with Bank of India in saving Bank as on 31.3.1987		1,19,302.77	--
<u>Pension Fund</u>			
Investment in National Saving Certificate (vii issue)			
Transferred from G.P.Fund Balance Sheet 1986-87		1,20,000.00	--
Bank Balance with Bank of India as on 31.3.87		83,596.70	--
TOTAL	<u>7,91,598.85</u>	<u>4,24,112.59</u>	


 Registrar
 Central Council of Indian Medicine
 New Delhi-110055

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI-110055

GENERAL PROVIDENT FUND

Receipt & Payment Account for the ended year 31st March, 1987

<u>RECEIPTS</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>Payments</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>AMOUNT</u>
Opening Balance as on 1.4.86 in Saving Bank with Bank of India		50,870.26	Amount paid to current A/c on account of excess deposit as	58.00	116.00
Additional Subscription by employees	10,631.00		- Subscription	58.00	
Subscription by employees	39,455.60		- Contribution		
Contribution toward, Pension	<u>23,611.00</u>	73,697.60	<u>Investment</u>		
Recovery of Loan from employees		36,275.00	In special Deposit Scheme		1,500.00
Interest earned from Bank (MIC, SDS & SB A/c)		18,203.04	<u>Final Payment to-</u>		
Monthly Income Certificate matured		50,000.00	1. Sh. S.K.Singh (Subscription)	20,000.00	
			2. <u>Sh. S.S.Pande</u>		
			Subscription with Interest	5,668.50	
			Contribution with Interest	<u>3,191.93</u>	28,860.43
			Loan granted to employees		37,670.00
			Amount transferred to Pension Fund A/c		41,596.70
			Closing Balance as on 31.3.1987 in Saving Bank with Bank of India.		<u>1,91,302.77</u>
TOTAL		<u>2,29,045.90</u> =====	TOTAL		<u>2,29,045.90</u> =====

Syaris
Regd.
Central Council of Indian Medicine
New Delhi-110055

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI-110055

GENERAL PROVIDENT FUND

Balance Sheet as on 31st March, 1987

<u>1985-86</u>	<u>LIABILITIES</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>1985-86</u>	<u>ASSETS</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>AMOUNT</u>
	<u>Employee's Subscription</u>						
1,34,216.10	As per last balance sheet	2,25,906.77		50,870.26	In Saving Bank with Bank of India		1,19,302.77
24,294.00	Addition during the year	50,086.60		50,870.26			
1,58,510.00		2,75,993.37			<u>Investment</u>		
--	Less-Transferred to current A/c	58.00			(a) <u>With Bank of India</u>		
1,58,510.00		2,75,935.37			As per last balance sheet	50,000.00	
	<u>Less- Final Payment to-</u>			1,05,000.00	Less-Redeemed	50,000.00	Nil
	1. Sh.S.S.Pande	5,668.50		55,000.00			
--	2. Sh.S.K.Singh	20,000.00		50,000.00	(b) <u>In Special Deposit Scheme</u>		
1,58,510.00		25,668.50			As per last balance sheet	1,09,000.00	
67,396.67	Add-Interest	11,250.90	2,61,517.77	90,900.00	Addition during the year	1,500.00	1,10,500.00
2,25,906.77				18,100.00			
	<u>Contribution toward Pension</u>			1,09,000.00	(c) <u>In National Saving Certificate (VII Issue)</u>		
82,905.46	As per last balance sheet	1,34,283.49		55,000.00	As per last Balance Sheet	1,20,000.00	
14,596.00	Addition during the year	23,611.00		65,000.00	Addition during the year	--	
97,501.46		1,57,894.49		1,20,000.00	Less-Transferred to Pension Fund A/c	1,20,000.00	Nil
36,782.03	Add- Interest	6,952.14			<u>Loan to Employees</u>		
1,34,283.49		1,64,846.63			As per last Balance Sheet	30,120.00	
--	Less-Transferred to curent A/c			22,285.00	Addition during the year	37,670.00	
--	Rs. 58.00			40,100.00	Less-Recoveries during the year	67,990.00	31,715.00
1,34,283.49	Paid to Sh.S.S. Pande	3,249.93		62,385.00		36,275.00	
		1,61,596.70		32,065.00			
	Less-Transferred to Pension Fund Balance Sheet	1,61,596.70	Nil	30,320.00			
3,60,190.26	TOTAL		2,61,517.77	3,60,190.26	TOTAL		2,61,517.77

R. Jain
Registrar
Central Council of Indian Medicine
New Delhi-110055

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI-110055

PENSION-CUM-GRATUITY FUND

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1987

<u>RECEIPTS</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>PAYMENTS</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>AMOUNT</u>
Amount received from G.P.Fund A/c on account of Contribution toward Pension.		41,596.70	Closing Balance as on 31.3.87 in saving Bank A/c with Bank of India.		83,596.70
Amount received from Current A/c		42,000.00			
		<u>83,596.70</u>			<u>83,596.70</u>

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI-110055

PENSION-CUM-GRATUITY FUND

Balance Sheet as on 31st March, 1987

<u>LIABILITIES</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>ASSETS</u>	<u>AMOUNT</u>
Transferred from G.P. Fund Balance Sheet 86-87.	1,61,596.70	<u>Investment in National Saving Certificate (VII Issue)</u>	
Addition during the year from Current A/c	<u>42,000.00</u>	Transferred from G.P. Fund Balance Sheet 86-87.	1,20,000.00
	2,03,596.70	Closing Balance in saving Bank with Bank of India.	83,596.70
	<u>2,03,596.70</u>		
TOTAL		TOTAL	<u>2,03,596.70</u>

S. G. Jain